सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि $\frac{\text{23 फाल्गुन, 1944 (श॰)}}{\text{14 मार्च, 2023 (ई॰)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 181

(1)	शिक्षा विभाग	..	..	94
(2)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग	..	..	13
(3)	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	..	..	25
(4)	समाज कल्याण विभाग	..	..	09
(5)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	..	..	05
(6)	खान एवं भूतत्व विभाग	..	..	05
(7)	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	..	..	02
(8)	परिवहन विभाग	..	..	19
(9)	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	..	..	07
(10)	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	..	..	02
			कुल योग --	181

छात्रावास बनाना

*1288. श्री कृष्णनंदन पासवान (क्षेत्र संख्या-13 हरसिद्धि (अ0जा0))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत राजेन्द्र छात्रवास अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के छात्रों के लिये एक मात्र छात्रवास हैं, जबकि जिले में छात्रों की संख्या अधिक है जिसे जिला मुख्यालय में रहकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने में काफी असुविधा हो रही हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जिला मुख्यालय में एक अतिरिक्त छात्रावास बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सेवा नियमित करना

*1289. श्री लखेंद्र कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-130 पातेपुर (अ0जा0))--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी पंचायत के सभी वार्डों में संविदा के आधार पर सेविका और सहायिका की बहाली की गई है जिसे प्रतिमाह मानदेय 5,950 एवं 2,975 रुपये दी जाती है, जो दैनिक मजदूरी से भी कम है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इनकी सेवा नियमित करते हुये कम-से-कम सेविका को 15,000 रुपये एवं सहायिका को 10,000 रुपये वेतन प्रतिमाह देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सेविका एवं सहायिका का चयन संविदा के आधार पर नहीं, बल्कि मानदेय पर आधारित सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में की गयी है और उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य की अवधि चार घंटा निर्धारित है । इस हेतु आँगनबाड़ी सेविका को प्रतिमाह 5,950, मिनी आँगनबाड़ी सेविका को 4,630 तथा आँगनवाड़ी सेविका को 2,975 रुपया मानदेय का भुगतान किया जाता है ।

वर्तमान में ये दोनों प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

विद्यालय का उत्क्रमण

*1290. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत वीरपुर प्रखंड के गेन्हरपुर पंचायत में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, गेन्हरपुर स्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत के छात्र-छात्राओं को माध्यमिक विद्यालय के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है एवं लगभग 6 किलो मीटर की दूरी तय कर खरमौली जाना पड़ता है, जिससे पठन-पाठन में काफी असुविधा होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1291. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत प्रखंड बैसा में एक भी खेल का स्टेडियम नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्रामीण खिलाड़ी अपने प्रतिभा का प्रर्दशन नहीं कर पाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रखंड बैसा में एक स्टेडियम के निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण कराना

*1292. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड कोटवा के सिरसिया महादलित बस्ती में सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु अंचलाधिकारी, कोटवा ने अपने पत्रांक 351, दिनांक 27 अगस्त, 2022 द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण को भूमि का ब्यौरा, नजरी नक्शा तथा भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित सभी कागजातों को भेज चुका है, यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त महादलित/दलित बस्ती में महादलित विकास मिशन योजना के तहत सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड की स्वीकृति दिलाने की विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन-सह-शेड का निर्माण

*1293. डॉ0 निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बाँका जिला अन्तर्गत बौंसी प्रखंड के डहुआ पंचायत के कुशवा ग्राम एवं बौंसी प्रखंड के सरूआ पंचायत के बारापघार ग्राम में अनुसूचित जन-जाति की अधिक बसावट होने के बावजूद भी सामुदायिक भवन-सह-शेड का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में सामुदायिक भवन-सह-शेड का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्थानांतरण करना

*1294. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर शहर का प्रतिष्ठित प्लस टू, बैधनाथ बालिका उच्च विद्यालय में बालिकाओं के लिये बने छात्रावास को लड़कों को आवंटित कर दिया गया है जो बालिकाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार आवंटित छात्रावास से लड़कों का स्थानांतरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षक की प्रतिनियुक्ति

*1295. श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद (क्षेत्र संख्या-57 बायसी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के बायसी प्रखंड एवं डगरूआ प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय में विषयवार शिक्षक नहीं रहने के कारण पठन-पाठन का कार्य बाधित रहता है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित प्रखंडों के प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कमरा बनवाना

*1296. श्रीमती रेखा देवी (क्षेत्र संख्या-189 मसौढ़ी (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत धनरूआ प्रखंड में श्री नंदकेश्वर, प्राथमिक उच्च विद्यालय 10+2, बहरामपुर में छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन हेतु पर्याप्त संख्या में क्लास रूम नहीं होने के कारण पढ़ाई बाधित रहता है, ज़बकि जमीन भी स्कूल में उपलब्ध है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में कबतक पठन-पाठन हेतु कमरा बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

किसानों को मुआवजा

*1297. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम एवं पूर्वी चम्पारण सहित अन्य जिलों में नीलगाय,

जंगली सूअर एवं बन्दरों द्वारा किसानों के हजारों हेक्टेयर फसलों को बर्वाद कर दिया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पशुओं से फसल बर्बाद रोकने के साथ-साथ किसानों को फसल क्षति का मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य के मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर पश्चिम एवं पूर्वी चम्पारण सहित अन्य कई जिलों से घोड़परास (नीलगाय) और जंगली सूअरों से फसलों की क्षति तथा बन्दरों से मानवीय क्षति की शिकायतें प्राप्त होती रहती है ।

घोड़परास (नीलगाय) और जंगली सूअरों द्वारा फसल क्षति एवं आमजन को पहुँचायी जा रही क्षति का संज्ञान लेते हुये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या वन्यप्राणी-01/13-81(ई0)/प0व0, दिनांक 17 जनवरी, 2019 तथा मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार के कार्यालय आदेश संख्या वन्यप्राणी-01-सह-पठित ज्ञापांक वन्यप्राणी 65, दिनांक 25 जनवरी, 2019 द्वारा घोड़परास (नीलगाय) तथा जंगली सूअर, जो किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान करते हों, को बिहार राज्य की सीमा के अन्तर्गत वन प्रमंडल पदाधिकारियों को 100 तथा वन संरक्षक को 500 तक घोड़परास (नीलगाय) तथा जंगली सूअर को मारने हेतु अनुमति देने की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई थी ।

वर्तमान में इस प्रक्रिया को सरल एवं स्थानीय स्तर पर समाधान योग्य बनाने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या वन्यप्राणी-01/2013/127(ई0)/प0व0ज0प0, दिनांक 18 फरवरी, 2022 द्वारा बिहार राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया को उनकी पंचायत की सीमा के अन्दर गैर-वन इलाकों एवं गैर-सरकारी भूमि में ऐसे घोड़परास तथा जंगली सूअर, जो खेती/बागवानी की फसल तथा मनुष्यों के जान-माल के लिये खतरनाक हो चुके हैं, को आखेट/मारने का आदेश देने हेतु प्राधिकृत किया गया है । इस क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना (वन्यप्राणी संभाग) के आदेश संख्या 4-सह-पठित ज्ञापांक वन्यप्राणी 169, दिनांक 16 मार्च, 2022 द्वारा घोड़परास और जंगली सूअर के आखेट/मारने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-ग्राम पंचायत मुखिया को प्रदत्त की गयी शक्तियाँ प्रत्यायोजन की तिथि से पाँच (5) वर्षों तक अथवा राज्य सरकार द्वारा संशोधन किये जाने तक के लिये लागू है ।

बिहार राज्य की अधिसीमा अन्तर्गत उपर्युक्त अधिसूचना/आदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या वन्यप्राणी 02/2002 (खंड) 755(ई0)/प0व0ज0प0, दिनांक 6 अक्टूबर, 2022 द्वारा दक्ष आखेटक/शूटरों का पैनल तैयार किया गया है, जिसकी प्रति सभी विभागों/सभी प्रमंडलीय आयुक्तों/सभी जिला पदाधिकारियों एवं सभी आरक्षी अधीक्षकों को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित है ।

वर्तमान में राज्य सरकार के संकल्प संख्या वन्यप्राणी-02/2002-1125(ई0)/प0व0ज0प0, दिनांक 23 सितम्बर, 2020 के अनुसार जंगली जानवर/वन्यप्राणी (हाथी एवं जंगली सूअर) के द्वारा फसल क्षति किये जाने पर रुपया 25,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा भुगतान करने का प्रावधान है । घोड़परास से क्षति होने पर मुआवजा भुगतान का प्रावधान नहीं है तथा जंगली जानवर/वन्यप्राणी (बाघ, तेन्दुआ, हाथी, भालू, जंगली सूअर, लकड़बग्घा, सियार, भेड़िया, गैंडा, जंगली कुत्ता, मगरमच्छ एवं घड़ियाल) के द्वारा मनुष्य की मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता पर रुपया 5,00,000 मनुष्य की गहरी चोट पर रुपया 72,000 एवं मनुष्य की हल्की चोट एवं घायल होने पर रुपया 12,000 सहाय्य राशि दिये जाने का प्रावधान है ।

मानव-वन्यजीव द्वंद नियंत्रण के लिये राज्य के वन प्रमंडलों में त्वरित कार्रवाई बल (Quick Response Team) गठित किये गये हैं जिनमें तिरहुत (मुजफ्फरपुर), रोहतास, गया, भागलपुर, पूर्णियाँ, बेतिया, औरंगाबाद एवं मिथिला नोडल वन प्रमंडल हैं । इन वन प्रमंडलों द्वारा उत्पाती बंदरों को पकड़ने एवं उन्हें सुदूर क्षेत्रों में पुनर्वासित करने का कार्य शामिल है ।

जमानत पर रिहा करना

*1298. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मधुबन)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 2016 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम बनाया गया था जिसके तहत आने वाले मामलों की सुनवाई के लिये विशेष अदालतों के गठन की खातिर बुनियादी ढाँचा तैयार किया जाना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सात साल बीत जाने के बाद भी अभीतक विशेष अदालतें गठित करने के लिये जमीन तक चिह्नित नहीं किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत 3.78 लाख आपराधिक मामले दर्ज किये गये हैं, जिनमें 4116 मामलों का निस्तारण किया गया है, यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत गिरफ्तार सभी आरोपितों को इन मामलों की सुनवाई के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा तैयार करने तक जमानत पर रिहा करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वाहन मालिकों के साथ न्याय

*1299. श्री सतीश कुमार (क्षेत्र संख्या-218 मखदुमपुर (अ0जा0))--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला में खनन विभाग द्वारा वाहनों को पकड़े जाने के उपरान्त आर्थिक दंड के भुगतान के बावजूद भी वाहनों को मुक्त कराने में अनावश्यक महीनों विलम्ब किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वाहन मुक्त करने में महीनों का समय लगाने के कारण वाहन मालिकों को आर्थिक क्षति होती है एवं वाहन के ऋण किस्त के भुगतान में विलम्ब होता है जिससे अत्यधिक सूद की राशि वाहन मालिकों को देना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस विषय पर यथोचित आदेश देकर वाहन मालिकों के साथ न्याय करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रिक्त पदों पर भर्त्ती

*1300. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के 6000 पद खाली हैं, जिसके कारण माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा विषय का पढ़ाई बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार शारीरिक शिक्षकों की रिक्त पदों पर भर्त्ती करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

बस का परिचालन

*1301. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत प्रखंड कोचाधामन के बरबटा से वाया भटा हाट, सोंथा, कजलामनी, रहमतपारा एवं मस्तान चैक किशनगंज जाने वाली मार्ग में एक भी सरकारी बस सेवा का परिचालन नहीं किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मार्ग में सरकारी बस सेवा का परिचालन नहीं होने से यात्रियों को निजी बस से अत्यधिक भाड़ा देकर यात्रा करना पड़ता है, यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मार्ग में सरकारी बस सेवा का परिचालन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विधि महाविद्यालय का निर्माण कराना

*1302. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत बिक्रमगंज अनुमंडल में 8 प्रखंड है, परंतु विधि महाविद्यालय नहीं होने के कारण विधि के छात्रों को अन्यत्र शिक्षोपार्जन करने हेतु जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कबतक बिक्रमगंज में विधि महाविद्यालय के निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राक्कलन की स्वीकृति

*1303. श्री बिजय सिंह (क्षेत्र संख्या-68 बरारी)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत बरारी, कुर्सेला एवं समेली प्रखंड में महादलित विकास मिशन के तहत पाँच सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण कराने हेतु विभागीय निर्देशानुसार एक वर्ष पूर्व प्रस्ताव समर्पित होने के बावजूद अभीतक प्राक्कलन की स्वीकृति विभाग द्वारा नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

पढ़ाई शुरू कराना

*1304. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर, अनुमंडल स्थित दाउदनगर महाविद्यालय, दाउदनगर एकमात्र अंगीभूत महाविद्यालय है जिसमें अबतक स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त महाविद्यालय में सभी विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1305. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखण्ड के कुम्हड़ी में मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य संवेदक के लापरवाही के कारण बंद है जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्टेडियम का निर्माण कार्य कबतक पुनः चालू कराकर पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय को उत्क्रमित करना

*1306. श्री हरि नारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के हरनौत प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुढ़ारी में एक भी माध्यमिक-सह-उच्चतर विद्यालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ग्राम पंचायत मुढ़ारी के ग्राम मुढ़ारी में मध्य विद्यालय संचालित है ;

(3) क्या यह बात सही है कि सरकार के नियमानुसार हर एक ग्राम पंचायत में माध्यमिक-सह-उच्चतर विद्यालय खोले जाने का प्रावधान है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्राम पंचायत मुढ़ारी के ग्राम मुढ़ारी में मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कर माध्यमिक-सह-उच्चतर विद्यालय बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1307. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभुतिपुर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के दलसिंहसराय प्रखंड में एक भी स्टेडियम नहीं है, जबकि सरकार द्वारा हर प्रखंड में एक स्टेडियम निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में कबतक स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मानदेय निर्धारित करना

*1308. श्री नारायण प्रसाद (क्षेत्र संख्या-6 नौतन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग के ज्ञापांक संख्या 3ए 8 बैठक 1/2019/4521,

दिनांक 3 सितम्बर, 2022 से निर्धारित 8386 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक शिक्षक के पद हेतु शिक्षा विभाग द्वारा बहाली के लिये विज्ञप्ति संख्या पी०आर० 373/2019 को प्रकाशित कर योग्यता परीक्षा आयोजित कर कुल 3523 सफल अभ्यर्थी का नियोजन बिहार पंचायत/नगर प्रारम्भिक शिक्षक नियमावली 2012 के अनुसार राज्य के मध्य विद्यालयों के रिक्त पद पर किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नियोजन के छः माह बाद भी इन शिक्षकों को न तो मानदेय मिला है न ही सेवा पुस्तिका संधारण की कार्यवाही प्रारंभ हुयी है, इन शिक्षकों का मानदेय प्रति माह 8,000 रुपये है जिसके कारण भरण-पोषण में परेशानी होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त शारीरिक शिक्षकों को सामान्य शिक्षक की भांति मानदेय निर्धारित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

यात्री शेड का निर्माण

*1309. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के मोरवा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गाँधी चैक ताजपुर से हलई जाने वाली सड़क में एन०एच० 28 गाँधी चैक, ताजपुर के निकट तथा बलुआही पोखर के निकट यात्री शेड के नहीं रहने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थलों पर यात्री शेड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान राशि का भुगतान

*1310. श्रीमती अरूणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दिनेश प्रसाद, पिता-स्व० बनारस प्रसाद गुरू सहाय, लाल इंटर कॉलेज, बादी (नालन्दा) कॉलेज कोड 12037 में गणित विभाग में व्याख्याता के पद पर कार्यरत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा दिये गये अनुदान राशि से 2008 ई० से आजतक भुगतान नहीं किया गया है, बिहार अनुदानित शिक्षक संस्थान प्राधिकार के आवेदन सं० 20/2018 के द्वारा दिनेश प्रसाद को एक महिना के अन्दर भुगतान का आदेश दिया गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक व्याख्याता को अनुदान राशि का भुगतान करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय की स्थापना

*1311. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत संग्रामपुर प्रखंड के पश्चिमी मधुबनी पंचायत के मुस्लिम बहुल दरियापुर गाँव में उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण बच्चे पठन-पाठन नहीं कर पा रहे है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उपर्युक्त गाँव में उच्च विद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मदरसा का भवन निर्माण

*1312. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबुबरही)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लदनियाँ प्रखण्ड में अवस्थित मदरसा इसहाकिया नाथपट्टी एवं एकहरी मदरसा इस्लामिया को अपना भवन नहीं रहने के कारण एसबैसटस में पढ़ने को मजबूर है साथ ही शिक्षकों को पठन-पाठन कार्य में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार छात्र/छात्राओं के हित में उक्त मदरसा का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा में कार्यरत कर्मियों के मात्र वेतनानुदान भुगतान हेतु सरकार द्वारा अनुदान स्वरूप राशि उपलब्ध करायी जाती है। मदरसा के आधारभुत संरचना की जिम्मेवारी संबंधित मदरसा के प्रबंध समिति की होती है।

खर्च पर बी०एड० कराना

*1313. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, एन० कॉलेज, पटना एवं गया कॉलेज, गया सहित राज्य के दूसरे विश्वविद्यालयों के अंगीभूत कॉलेजों का फीस स्ट्रक्चर डेढ़ लाख रुपये है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में बी०एड० की फीस डेढ़ लाख रुपये होने की वजह से दलित, पिछड़े अल्पसंख्यक और गरीब छात्र-छात्राएं बी०एड०, करने से वंचित हो जाते हैं, यहांतक कि अनुसूचित जाति/जन-जाति शिक्षकों की आरक्षित सीटें खाली रह जाती है उनके शिक्षक बनने का सपना अधूरा रह जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में कम खर्च पर बी०एड० कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1314. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पंचायती राज एवं नगर निकायों के तहत 2006 से 2015 तक नियुक्त शिक्षकों में से 1 लाख 3 हजार शिक्षकों के फोल्डर निगरानी जांच के लिये शिक्षा विभाग के वेव पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को 19 अगस्त 2021 को लिखे अंतिम पत्र में शेष शिक्षकों का फोल्डर अपलोड करने का निर्देश दिया था, परन्तु जिला स्तरों पर कार्रवाई नहीं किया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के 1 लाख 3 हजार शिक्षकों के फोल्डर, (नाम, प्रमाण-पत्र आदि) अपलोड नहीं करने के मामलों में कार्रवाई करने विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उच्च विद्यालय में उत्क्रम

*1315. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के गौड़ाबौराम प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत राज मनसारा के मध्य विद्यालय मनसारा को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है पर्याप्त भूमि नहीं रहने के कारण आजतक उच्च विद्यालय का भवन का निर्माण नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मनसारा पंचायत के मध्य विद्यालय बड़गांव में पर्याप्त भूखंड उपलब्ध है और उक्त विद्यालयों उच्च विद्यालय में उत्क्रमित होने की सभी अर्हताएं पूरा करता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मध्य विद्यालय, मनसारा को उच्च विद्यालय का प्रस्ताव वापस लेकर मध्य विद्यालय, बड़गांव को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रवृत्ति पुनः बहाल करना

*1316. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के विद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति समाप्त कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति बन्द होने से गरीब छात्र-छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है, जिस कारण उनलोगों में भारी आक्रोश है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जन-जाति के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति पुनः बहाल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिमा स्थापित कराना

*1317. श्री अशोक कुमार (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला मुख्यालय में खेल मैदान का नामाकरण लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल के नाम पर की गयी थी जिसमें इनकी आदमकद प्रतिमा की स्थापना का निर्णय वर्ष 1985 में लिया गया था, यदि हाँ, तो क्या सरकार समस्तीपुर पटेल मैदान में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेलजी की आदमकद प्रतिमा स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महोत्सव का आयोजन

*1318. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंडान्तर्गत मनिहारी घाट पर सावन, छठ और माघी पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं तथा बहुत बड़ा मेला लगता है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का बिल्कुल अभाव है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वहां राजकीय महोत्सव के आयोजन की स्वीकृति देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार द्वारा वर्तमान में कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अंतर्गत मनिहारी घाट पर महोत्सव का आयोजन कराया जाना विचाराधीन नहीं है। मनिहारी घाट पर महोत्सव हेतु जिला पदाधिकारी, कटिहार से विभागीय पत्रांक 144, दिनांक 28 फरवरी, 2023 द्वारा प्रतिवेदन की मांग किया गया है ।

अनुज्ञा पत्र देना

*1319. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ 1134.02 वर्ग कि०मी० में अवस्थित हैं, जहां लाखों आदिवासी निवास करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि वन उपज को बिक्री हेतु वन उपज अधिनियम 2007 भारत सरकार के द्वारा लागू है ;

(3) क्या यह बात सही है कि कैमूर, वन प्रमंडल के अधिकारी के द्वारा लघु वन पदार्थ अनुज्ञा पत्र की छपाई हेतु विभाग से अनुरोध किया गया है ;

(4) क्या यह बात सही है कि लघु वन पदार्थ की परिवहन अनुज्ञा पत्र नहीं होने से उस इलाके में बसने वाले लाखों आदिवासी भुखमरी के कगार हैं ;

(5) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कैमूर वन पदार्थ की परिवहन अनुज्ञा-पत्र देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण कराना

*1320. श्री मनोज यादव (क्षेत्र संख्या-163 बेलहर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेलहर विधान सभा के अन्तर्गत चांदन प्रखंड के पंचायत विरनियाँ, पूर्वी कटसकरा, धनुवसार, कुजुमजोरी एवं गैरीपुर में विद्यालय भवन के लिये स्वीकृति दिनांक 20 जून, 2013 को दी गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्वीकृति मिलने के अभीतक विद्यालय भवन का निर्माण किया गया है जिसके कारण छात्रों को पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करानी पड़ रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*1321. श्रीमती रेखा देवी (क्षेत्र संख्या-189 मसौढी (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी प्रखंड में प्राथमिक विद्यालय देवरीया, बसौर चकिया, धनीचक, मलमाचक, उर्दू प्राथमिक विद्यालय, रहमतगंज, सुखमलचक, जगपुरा विगहा, सुपहुली, झुग्गी-झोपड़ी विद्यालय, खनपुरा, घेड़हुआ मुसहरी एवं प्राथमिक विद्यालय, बैरीचक का विद्यालय भवन जीर्ण-शीर्ण एवं ध्वस्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालयों का भवन नहीं रहने के कारण विद्यालय दूसरे विद्यालय में शिफ्ट कर संचालित किया जा रहा है, जिससे छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है और बच्चों को विद्यालय जाने में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सभी विद्यालयों के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्कूल को उत्क्रमण

*1322. श्री केदार प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-93 कुढ़नी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत कुढ़नी प्रखंड अन्तर्गत केरमा में उच्च विद्यालय नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार केरमा बेसिक स्कूल को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय बनाने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान कराना

*1323. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के वाहनों के संचालन में बाह्य स्रोत से चालक एवं संवाहक कार्य कर रहे है ;

(2) क्या यह बात सही है कि चालकों से 30 दिनों के माह में 26 दिन एवं 31 दिनों के माह में 27 दिनों की उपस्थिति में निगम मुख्यालय द्वारा चालक को प्रतिदिन 550.57 रुपया एवं संवाहक को प्रतिदिन 452.35 रुपया का भुगतान निर्धारित है, वर्ष 2021 में R.M.S टेक्नोयेलुशन पटना के द्वारा नया दर निर्धारित करते हुये चालकों को प्रतिमाह 17,267 रुपया के बजाय सिर्फ प्रतिमाह 11,746 रुपया का ही भुगतान किया जा रहा है ;

(3) यदि हाँ, तो सरकार कबतक गया जिला में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के वाहनों के संचालन में बाह्य स्रोत के चालकों को पूर्ण राशि का भुगतान करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) एवं (3) बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना से प्राप्त पत्रांक 593, दिनांक 22 फरवरी, 2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निगम में वाहनों के संचालन हेतु बाह्य स्रोत से चालक एवं संवाहक उपलब्ध कराया जाता है । जिसमें एकरारनामा के अनुसार 30 दिनों के माह में 26 दिन एवं 31 दिनों के माह में 27 दिनों की उपस्थिति के साथ 4 दिनों का विश्राम अवधि के साथ कुल 30 अथवा 31 दिनों का भुगतान किया जाता है । यथा चालक का विश्राम अवधि सहित 31 दिनों का पारिश्रमिक की राशि वर्तमान न्यूनतम मजदूरी के दर से 17,019 (सतरह हजार उनीस) रुपये बनता है । जिसमें वैधानिक कटौती EPF & ESIC संबंधित संस्थान को जमा करने के उपरान्त शेष राशि का भुगतान एजेंसी द्वारा चालक को किया जाता है ।

चहारदीवारी का निर्माण

*1324. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पताही प्रखंड के गोनाही पंचायत के राजकीय कन्या विद्यालय, गुजरौल की चहारदीवारी नहीं रहने से असामाजिक तत्वों तथा पशुओं का हमेशा सें जमावाड़ा बना रहता है जिसके कारण विद्यार्थियों को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय की चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वर्ग कक्ष का निर्माण

*1325. श्री अशोक कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-92 सकरा (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला स्थित बलिहारी उच्च विद्यालय, जगदीशपुर बघनगरी, सकरा को प्लस टू का दर्जा प्राप्त है ;

(2) क्याा यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में चार कमरा छोड़ शेष के जर्जर रहने के कारण प्लस टू के कक्षा संचालन हेतु नजदीक के मॉडल स्कूल का एक कमरा अस्थायी रूप से पठन-पाठन हेतु उपयोग किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्लस टू के संचालन हेतु उक्त विद्यालय में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन बनवाना

*1326. श्री रामप्रीत पासवान (क्षेत्र संख्या-37 राजनगर (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत प्रखंड राजनगर के गाँव बैरा एवं चपाही में जमीन रहते हुये अभीतक विद्यालय का भवन नहीं बनाया गया, यदि हाँ, तो सरकार कबतक विद्यालय भवन बनाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित करना

*1327. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत लौरिया प्रखंड 19 पंचायत एवं एक नगर पंचायत से सुसज्जित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इतने बड़े प्रखंड में लगभग तीन-चार वर्षों से नियमित सी0डी0पी0ओ0 नहीं होने से कार्य प्रभावित हो रहे हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड का मैनाटॉड़ सी0डी0पी0ओ0 को प्रभारी बनाया गया है, जो महीना में मात्र चार-पाँच दिन भी यहाँ समय नहीं दे पाती हैं ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड के आँगनबाड़ी केन्द्रों के सही संचालन हेतु एक स्थायी सी0डी0पी0ओ0 को पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1328. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत जाले प्रखंड के सहसपुर पंचायत के चन्दौना स्थित प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति टोल मंधारी टोल तथा प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति टोल मदौली के भवन निर्माण संबंधी निःशुल्क भूमि का दान हो चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अभीतक उक्त दोनों विद्यालय के भवन निर्माण संबंधी कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों विद्यालय के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*1329. श्री सुर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला अन्तर्गत नावकोठी प्रखंड के उच्च माध्यमिक +2 विद्यालय, डफरपुर में $2 के लिये भवन नहीं रहने के कारण विद्यार्थियों और शिक्षकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार $2 के लिये भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्यबल की कमी को दूर करना

*1330. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 13 जून, 2022 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''खान विभाग में कर्मियों के 70 प्रतिशत तो अधिकारियों के 50 प्रतिशत पद खाली'' के आलोक में क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के खान एवं भूतत्व विभाग में अधिकारियों के 50 प्रतिशत एवं कर्मचारियों के 70 प्रतिशत पद रिक्त है जिसके कारण विभाग के राजस्व प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के 29 जिलों में बालू की उपलब्धता है लेकिन मात्र 16 जिलों में ही बालू खनन हो रहा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि कार्यबल की कमी के कारण राज्य में बालू के अतिरिक्त अन्य खनिजों का उत्खनन नहीं होने से राजस्व की क्षति हो रही है ;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार विभाग में कार्यबल की कमी को दूर करने के लिये कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*1331. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला के चेवाड़ा प्रखंड अंतर्गत चिंतामंचक गाँव में प्राथमिक विद्यालय चिंतामंचक है, का भवन कई वर्षों से जर्जर रहने के कारण मध्य विद्यालय, सिझोडी में संचालित किया जा रहा है, जिसके कारण छोटे-छोटे बच्चों के पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उपर्युक्त वर्णित विद्यालय का भवन निर्माण तथा पठन-पाठन सुचारू रूप से संचालित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पठन-पाठन संचालित कराना

*1332. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला के अरियरी प्रखंड अन्तर्गत सनैया पंचायत के धनौल गाँव में प्राथमिक विद्यालय, धनौल संचालित है, का भवन कई वर्षों से अर्द्धनिर्मित रहने के कारण प्राथमिक विद्यालय, जखौर में संचालित किया जा रहा है, जिसके कारण छोटे-छोटे बच्चों के पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्णित विद्यालय का भवन निर्माण तथा पठन-पाठन सुचारू रूप से संचालित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भूमि उपलब्ध कराना

*1333. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी/पिपराकोठी प्रखंड अन्तर्गत भवनहीन नवसृजित प्राथमिक विद्यालय 25 की संख्या में चयनित है जो दूसरे विद्यालय के साथ टैग किये गये है जैसे नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, झिटकहिया, उतरी डेकहां और नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, मुशहरी टोला, धुरव लखौरा, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, फुरसतपुर चन्द्रहिया आदि जिसकी जमीन भी उपलब्ध है फिर भी भवन निर्माण हेतु राशि का आवंटन नहीं होने के कारण ये भवनहीन के श्रेणी में दर्ज है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार नवसृजित प्राथमिक विद्यालय हेतु चयनित स्थलों पर भवन राशि आवंटित कर भवन निर्माण कराने एवं जिस चयनित स्थल का भूमि अनुपलब्ध है वहाँ भूमि उपलध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बसों का परिचालन

*1334. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनिया (अ0जा0))--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत कुदरा प्रखंड से पटना एवं अन्य स्थानों के लिये सरकारी बस परिचालन की सुविधा नहीं रहने के कारण आम नागरिकों को आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि एन0एच0 2 एवं रेलवे स्टेशन तथा वाराणसी से सटा रहने के कारण उक्त स्थान पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है जहाँ लोगों का आना-जाना लगा रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना से कुदरा के बीच राज्य परिवहन की बसें चलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--खंड (1), (2) एवं (3) प्रशासन मुख्य, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना से प्राप्त पत्रांक 616, दिनांक 24 फरवरी, 2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बस बेड़े में बसों की कमी है । सम्प्रति प्रस्तावित मार्ग भी अधिसूचित नहीं है ।

अतएव प्रस्तावित मार्ग अधिसूचित होने एवं बस बेड़े की बढ़ोतरी होने पर निगम परिचालन पर विचार करेगा ।

भवन का निर्माण

*1335. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड नानपुर पंचायत, सिरसी के ग्राम-ब्रहमौल में श्री विन्देश्वर राम के घर के निकट अनुसुचित जाति सामुदायिक भवन बना हुआ है जो काफी जर्जर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सामुदायिक भवन में पंचायत चुनाव, विधान सभा चुनाव एवं लोकसभा चुनाव का मतदान केन्द्र रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भवन का पुनः निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

यात्री शेड का निर्माण

*1336. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड के दिघरूआ महादेव बाबा स्थान के निकट तथा चकपहाड़ पंचायत के कमतौल राजेन्द्र चैक के निकट यात्री शेड नहीं रहने के कारण चकपहाड़ रोड को ताजपुर जाने वाले यात्रियों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थलों पर यात्री शेड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

परीक्षा केन्द्र का आयोजन

*1337. श्री विनय कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-80 बेनीपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डी०एल०एड० प्रवेश परीक्षा आयोजित करती है, जो ऑनलाइन होती है, जिसका परीक्षा का केन्द्र सिर्फ पटना मुख्यालय होता है जिससे छात्रों को काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार बोर्ड मुख्यालय के स्थान पर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर परीक्षा केन्द्र का आयोजन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की नियुक्ति

*1338. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ विश्वविद्यालय के अधीनस्थ धमदाहा और वायसी डिग्री कॉलेज में 60 शिक्षकों का स्वीकृत पद है परंतु 4 गेस्ट फैकेल्टी ही पदस्थापित हैं, जिससे कॉलेज में नामांकित 4,000 छात्रों का भविष्य अधर में है, यदि हाँ, तो सरकार पूर्णियाँ विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कॉलेज में शिक्षकों के स्वीकृत पद पर कबतक नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का नामकरण

*1339. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के मंझरिया गाँव निवासी ओलम्पियन स्व० शिवनाथ सिंह वर्तमान बिहार के आजतक के एकलौते ओलम्पियन रहें हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि एथलेटिक जगत के धावक स्व० शिवनाथ सिंह तीन एशियाड एवं दो ओलम्पिक में भाग लेकर 12 वर्षों तक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय नायक की भूमिका निभाई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ओलम्पियन शिवनाथ सिंह के सम्मान में बक्सर किला मैदान स्थित नवनिर्मित स्टेडियम का नामकरण स्व० शिवनाथ सिंह के नाम पर करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अवैध कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई

*1340. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत जिला कोचिंग संस्थान निबंधन समिति में सभी कोचिंग संस्थानों को निबंधन कराना अनिवार्य है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कोचिंग संस्थानों से प्राप्त आवेदन को निबंधन से पूर्व कोचिंग संस्थानों में पर्याप्त कमरा, बैठने की व्यवस्था, छात्र संख्या के अनुसार शिक्षक की उपलब्धता, रोशनी, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, अग्नि उपकरण, पार्किंग आदि की उपलब्धता के बाद ही निबंधन करने का प्रावधान है ;

(3) क्या यह बात सही है कि राज्य में मात्र 937 कोचिंग संस्थान ही निबंधित है तथा 4328 कोचिंग संस्थान अवैध रूप संचालित है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी जिलों में निबंधन समिति की बैठक ससमय आयोजित नहीं करने वाले पदाधिकारी तथा अवैध कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई करने के साथ-साथ कबतक सभी कोचिंग संस्थान को निबंधित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति कराना

*1341. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर नगर परिषद् अन्तर्गत सम्मिलित (भेरोखड़ा तथा कस्बे आहार पंचायत) के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी किये जाने के बावजूद भी कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद्, ताजपुर के द्वारा नियोजन-पत्र नहीं दिया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, ताजपुर द्वारा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों (1) नवीन कुमार पोद्दार (2) मो० अरमान को नियोजन-पत्र नहीं दिये जाने से संबंधित विद्यालयों में पठन-पाठन कार्य बाधित हो रहा है, यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं,

तो क्या सरकार कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद्, ताजपुर के विरुद्ध कार्रवाई करते हुये अंतिम रूप से चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्त करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन को पूर्ण कराना

*1342. श्री श्रीकान्त यादव (क्षेत्र संख्या-113 एकमा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत एकमा विधान सभा के माँझी प्रखंड में मुबारकपुर उच्च विद्यालय स्थित है, में वर्ष 2011-2012 में भवन का कार्य प्रारंभ हुआ, परंतु आजतक भवन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का भवन को पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1343. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी पंचारण जिलान्तर्गत योगापट्टी स्थित नवसृजित नगर पंचायत, मच्छरगाँवा में एक ही स्टेडियम है श्री नरसिंह नारायण खेल मैदान ;

(2) क्या यह बात सही है कि उचित रख-रखाव के अभाव में उक्त स्टेडियम का अतिक्रमण हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त खेल मैदान का चहारदीवारी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

टैम्पू स्टैण्ड का निर्माण

*1344. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई अनुमंडल के बारसोई मुख्यालय रेल जंक्शन, निबंधन कार्यालय, दो-दो +2 विद्यालयों, बालिका उच्च विद्यालय, मदरसा विद्यालय, अनुमंडल अस्पताल, कई नर्सिंग हॉल एवं नगर पंचायत मुख्यालय तथा एक समृद्ध बाजार होने के कारण हजारों की संख्या में टैम्पू तथा बैट्री चालित रिक्शाओं का परिचालन होने लगा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बारसोई से कटिहार तथा पूर्णियाँ तक बसों का भी परिचालन होने लगा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि इसके बावजूद यहाँ एक भी बस या टेम्पू स्टैंड नहीं है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बारसोई में बस तथा टेम्पू स्टैण्ड का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस स्टैंड का निर्माण

*1345. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ०जा०))--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखंड अन्तर्गत शेरमारी एन०एच० 133 और एन०एच० 80 का जंक्शन है तथा वही पर एन०एच० 80 के किनारे पीरपैंती रेलवे स्टेशन अवस्थित है जहाँ दर्जनों रेलगाड़ियों का ठहराव होता है, परंतु वहां पर कोई सरकारी बस स्टैंड नहीं है, जिसके कारण एन०एच० 80 हमेशा जाम रहता है और यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वहां पर जमीन अधिगृहीत कर सरकारी बस स्टैंड का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1346. श्री जितेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के अस्थावाँ प्रखण्ड में 18 पंचायत एवं 01 नगर पंचायत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड में मात्र एक स्टेडियम होने के कारण इसका पूरा लाभ सभी प्रखण्डवासी को नहीं मिल पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अस्थावाँ में चकदीन हाई स्कूल के मैदान में एक और स्टेडियम निर्माण का विचार रखती हैं, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन बनाना

*1347. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत केवटी विधान सभा क्षेत्र के सिंहवाड़ा प्रखंड के भरहुल्ली पंचायत के उ०म०वि०, कोरा का भवन जर्जर अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय खोलना

*1348. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत सिंहवाड़ा प्रखंड के माधोपुर वस्तवाड़ा पंचायत के लक्ष्मीपुर गांव में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, जिस कारण छोटे बच्चे और बच्चियों को पढ़ाई करने के लिये कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त गांव में प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पंचायतों की भूमि का निबंधन

*1349. श्री राम चन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-84 हायाघाट)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के हायाघाट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बहेड़ी प्रखंड के पंचायत निमैठी, हरहच्चा, जोरजा, पघारी, धनौली, ठाठोपुर, रमौली गुजरौली, हथौड़ी उत्तरी, हथौड़ी दक्षिणी एवं चकवा भरवाही पंचायत के जमीन की रजिस्ट्री वर्ष 2019 तक सदर निबंधन कार्यालय, दरभंगा में होती थी जिसकी दूरी इन पंचायतों से मात्र 15 कि०मी० है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायतों की भूमि का निबंधन वर्ष 2020 से निबंधन कार्यालय बहेड़ा, दरभंगा किया जाने लगा है जिसकी दूरी इन पंचायतों से 40 कि०मी० है जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायतों की भूमि का निबंधन पुन: सदर निबंधन कार्यालय, दरभंगा से शुरू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बसों का परिचालन

*1350. श्री युसुफ सलाहउद्दीन (क्षेत्र संख्या-76 सिमरी बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर, अनुमंडल मुख्यालय से पटना या अन्य शहरों के लिये सरकारी बस का परिचालन शुरू नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सरकारी बसों के परिचालन का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना से प्राप्त पत्रांक 587, दिनांक 22 फरवरी, 2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निगम के बस बेड़ों में बसों की कमी है । यद्यपि मार्ग भी अधिसूचित नहीं है । मार्ग अधिसूचित होने पर प्रस्तावित मार्ग पर बस संचालन हेतु विचार किया जायेगा ।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त

*1351. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि स्व० सकलदीप राय, पिता-स्व० तेगा राय, ग्राम-असलेमपुर, पो०-चैरी, जिला-औरंगाबाद बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, गया प्रमंडल के औरंगाबाद प्रतिष्ठान अन्तर्गत हसपुरा बस पड़ाव में सी०बी०सी० के पद पर कार्यरत थे ;

(2) क्या यह बात सही है कि 27 जनवरी, 2008 को सकलदीप राय की मृत्यु ड्यूटी के दौरान हो गयी थी ;

(3) क्या यह बात सही है कि नियमानुसार सकलदीप राय के एक आश्रित की नौकरी अनुकम्पा के आधार पर होनी चाहिये थी और इससे संबंधित आवेदन स्व० सकलदीप राय के पुत्र रामायण राय द्वारा बहुत पहले विभाग को सौंपा जा चुका है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्व० सकलदीप राय के पुत्र रामायण राय को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*1352. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के अन्तर्गत उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का भवन की कमी के कारण पठन-पाठन सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार राज्य में उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान की राशि का भुगतान

*1353. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सत्र 2006/2008 से राज्य के वित्त रहित डिग्री एवं इन्टर कॉलेज के लिये अनुदान की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गयी है जो 2013/2015 तक की राशि स्वीकृत की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मिश्री सदा इन्टर कॉलेज, मैरवा सिवान का अनुदान की राशि 2012-14 तथा 2013/15 का भुगतान भी कर दिया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त कॉलेज सहित राज्य के अन्य कॉलेजों का 2006/2008 से लेकर 2011/2013 तक अनुदान की राशि का भुगतान अभीतक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नहीं किया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 2013/15 के पूर्व की बकाया अनुदान की राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास के निर्माण

*1354. श्री युसुफ सलाहउद्दीन (क्षेत्र संख्या-76 सिमरी बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर, सलखुआ एवं महिषी प्रखंड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिये छात्रावास का निर्माण नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक छात्रावास के निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विचार करना

*1355. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में मुख्यमंत्री सिविल प्रोत्साहन योजना के तहत एस०सी०,एस०टी०, बी०सी०, ई०बी०सी० एवं सामान्य वर्ग की महिलाओं को बी०पी०एस०सी० एवं यू०पी०एस०सी० की प्रारंभिक परीक्षा में क्वालीफाई होने पर क्रमशः एक लाख एवं पचास हजार रुपये की राशि दी जा रही है, किन्तु उपर्युक्त योजना के तहत सामान्य एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे आच्छादित नहीं हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त योजना के तहत कबतक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बच्चों को भी आच्छादित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय बनाना

*1356. श्री बागी कुमार वर्मा (क्षेत्र संख्या-215 कुर्था)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के सोनभद्र वंशी सूर्यपुर प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-शुकुल बीघा के 4 किलो मीटर के परिधि में एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है जिसके कारण छोटे बच्चों को अत्यधिक दूरी तयकर विद्यालय जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार ग्राम-शुकुल बीघा में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बनाने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का उत्क्रमण

*1357. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया प्रखंड के ग्राम-माड़र के उत्तरी पंचायत के आस-पास के गाँवों में मुस्लिम समुदाय की आबादी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खगड़िया प्रखंड के माड़र दक्षिणी पंचायत के ग्राम-माड़र में उर्दू मध्य विद्यालय है, परन्तु उर्दू उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण ड्रॉप आउट बहुत होता है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्राम-माड़र में स्थित उर्दू मध्य विद्यालय को उर्दू उच्च विद्यालय के रूप में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1358. श्री बच्चा पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-110 बड़हरिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के प्रखंड बड़हरिया के मुर्गियां टोला, चैकी हसन में स्थित प्राथमिक विद्यालय झोपड़ी में संचालित होने के कारण अधिकांशत: बंद रहता है, जबकि उक्त विद्यालय का अपना जमीन उपलब्ध रहने के बावजूद भी भवन का निर्माण नहीं हुआ है, भवन नहीं होने से आधारभूत संरचना की कमी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय भवन का निर्माण एवं आधारभूत संरचनाओं की आपूर्ति कराने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय खोलना

*1359. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के नावानगर प्रखंड के परमानपुर पंचायत के ननौरा गाँव तथा डुमराँव प्रखंड के नाटा के डेरा गाँव में प्राथमिक विद्यालय नहीं होने के कारण छोटे बच्चों को एक किलो मीटर से ज्यादा दूरी तयकर दूसरे गाँव में पढ़ने जाना पड़ता है जिससे बहुत से छोटे बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार ननौरा तथा नाटा के डेरा गाँव में प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी एवं गेट का निर्माण

*1360. श्री रामवृक्ष सदा (क्षेत्र संख्या-148 अलौली (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला अन्तर्गत अलौली प्रखंड में उच्च विद्यालय, ओलापुर गंगौर में चहारदीवारी एवं गेट का निर्माण नहीं किया गया है जिसके कारण स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में चहारदीवारी एवं गेट का निर्माण कराने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

परिवहन नियमों का प्रचार-प्रसार करना

*1361. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला सहित पूरे राज्य में परिवहन नियमों की जानकारी के अभाव एवं परिवहन विभाग में कर्मी की कमी के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संभावना अधिक रहती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सड़क सुरक्षा पर गठित कमिटी द्वारा होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के रोक-थाम हेतु समय-समय पर समीक्षा की जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु नियमों का प्रचार-प्रसार तथा कर्मी की कमी को दूर करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण

*1362. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के किरतपुर प्रखंड में एक भी खेल का मैदान (स्टेडियम) नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि किरतपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत, जमालपुर में सरकारी भू-खंड उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सरकारी भू-खंड पर खेल का मैदान (स्टेडियम) निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत किरतपुर प्रखंड में स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्ताव की मांग जिला पदाधिकारी, दरभंगा से विभागीय पत्रांक 249, दिनांक 22 फरवरी, 2023 द्वारा की गई है ।

प्रस्ताव प्राप्त होते ही विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा ।

स्टेडियम का निर्माण

*1363. श्री सुनील मणि तिवारी (क्षेत्र संख्या-14 गोविन्दगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिले के संग्रामपुर एवं पहाड़पुर प्रखंड में बच्चों के खेल-कूद के लिये कोई स्टेडियम नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पहाड़पुर प्रखंड के उत्तरी नोनेया पंचायत स्थित मखनियाँ हाई स्कूल के पास स्टेडियम निर्माण के लिये पर्याप्त जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खेल-कूद प्रोत्साहन के तहत उक्त प्रखंड में स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस का परिचालन

*1364. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रशासन मुख्य, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, परिवहन भवन, पटना ने राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को अपने ज्ञापांक 930, दिनांक 12 मार्च, 2021 द्वारा बस परिचालन हेतु प्रस्तावित मार्ग चन्दौना-घोघराहा-जाले-भरवाड़ा-अतरबेल-मुजफ्फरपुर (इमलीचट्टी) को अधिसूचित करने का अनुरोध किया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मार्ग के साथ-साथ दरभंगा जिला अन्तर्गत एक अन्य मार्ग चन्दौना-घोघराहा-जोगियारा-मुरैठा-कमतौल-दरभंगा भी अधिसूचित नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों प्रस्तावित मार्ग को अधिसूचित कर बस परिचालन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

साक्षात्कार की तिथि निर्धारित कराना

*1365. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा से पी0एच0डी0 कर रहे शोधार्थियों के द्वारा शोध-पत्र जमा करने, सारी रिपोर्ट आ जाने और विषय-विशेषज्ञों के द्वारा 3-4 बार साक्षात्कार तिथि देने के बाद भी कुलपति के द्वारा अनुमोदन और पी0एच0डी0 साक्षात्कार की तिथि घोषित नहीं की जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पी0एच0डी0 की प्रक्रिया लम्बित रहने की वजह से शोध कर रहे लगभग 200 से अधिक छात्र-छात्राएँ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, अतिथि शिक्षक की नियुक्ति में आवेदन करने से वंचित हो रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार साक्षात्कार की तिथि निर्धारित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क दुर्घटना में मृत्यु का मुआवजा

*1366. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि परिवहन विभाग ने दो वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को 5 लाख रुपये राशि की मुआवजा देने का निर्णय लिया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के सदर प्रखंड के (क) फूल कुमारी देवी (ख) रामदेव पासवान (ग) राधेगोविन्द ठाकुर (घ) गुलाब महतो (ड.) अजय कुमार सहनी (च) अरूण कुमार यादव (छ) रविशंकर कुमार, क्रमशः 1 दिसम्बर, 2022, 14 मई, 2022, 11 मई, 2022, 8 अगस्त, 2021, 4 मई, 2022, 25 जनवरी, 2022 एवं 25 अक्टूबर, 2022 समेत 50 और लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है ;

(3) क्या यह बात सही है कि काफी समय बीत जाने के उपरान्त भी अभीतक उक्त मृतकों के परिजनों को मुआवजा की राशि नहीं मिली है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड (2) में वर्णित मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये मुआवजा की राशि का भुगतान करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक । परिवहन विभाग के अधिसूचना संख्या 683, दिनांक 11 अगस्त, 2021 एवं 684, दिनांक 11 अगस्त, 2021 के द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रित/उत्तराधिकारी को 5 लाख रुपये अग्रिम मुआवजा भुगतान का प्रावधान किया गया था ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक । इस कंडिका के क्रमांक (ख) रामदेव पासवान एवं (घ) गुलाब पासवान को छोड़कर क्रमांक (क) फूल कुमारी देवी (ग) राधेगोविन्द ठाकुर (ड.) अजय कुमार सहनी (च) अरूण कुमार यादव (छ) रविशंकर कुमार के आश्रितों के द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप आवेदन-पत्र दिया गया है ।

(3) CWJC संख्या 3362/2022, रेणु देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 को आदेश पारित करते हुये परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या 683 एवं 684, दिनांक 11 अगस्त, 2021 तथा आम सूचना दिनांक 1 दिसम्बर, 2021 के Operation को Stay कर दिया गया है । फलस्वरूप मृतकों के परिजनों को मुआवजा की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

(4) उपर्युक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

आँगनबाड़ी केन्द्र खोलना

*1367. श्री उमाकांत सिंह (क्षेत्र संख्या-7 चनपटिया)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला के चनपटिया प्रखंड अन्तर्गत नगर पंचायत, चनपटिया के किसी भी वार्ड में आँगनबाड़ी केन्द्र नहीं होने के कारण गरीब बच्चों को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नगर पंचायत, चनपटिया के सभी वार्डों में आँगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण कराना

*1368. श्री सुरेन्द्र मेहता (क्षेत्र संख्या-142 बछवाडा)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत भगवानपुर प्रखंड के बनवारीपुर हाई स्कूल में स्टेडियम नहीं होने के कारण छात्रों को खेलने की सुविधा नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जमीन पर स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस का परिचालन

*1369. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के गया सरकारी बस स्टैण्ड से परैया, गुरारू होते हुये रफीगंज (जिला औरंगाबाद) प्रखंड मुख्यालय तक सरकारी बस का परिचालन नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकारी बस के परिचालन के अभाव में प्राईवेट बस मालिकों द्वारा मनमाफीक किराया वसूली के चलते ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर सरकारी बस परिचालन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वृक्षारोपण कराना

'क'-*1370. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के किशनपुर प्रखंड अन्तर्गत एन0एच0 76, सौहागपुर पेट्रोल पम्प से रतनपुरा तक जाने वाली पथ के दोनों किनारे वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथ में वृक्षारोपण का कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

7वें चरण की शिक्षक बहाली

*1371. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में शिक्षकों के लगभग 3.5 लाख पद खाली है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर नियमावली, 2023 का ड्राफ्ट तैयार हो जाने के बावजूद अभीतक सातवें चरण की शिक्षक बहाली नहीं शुरू की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, हाँ, तो क्या सरकार 7वें चरण की शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन जारी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से ग्रामीण विकास विभाग में स्थानांतरित ।

घाट का निर्माण

*1372. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत टिकारी अनुमंडल में स्थित टिकारी का ऐतिहासिक किला के राजा का प्रमुख घाट है जो विगत 5 वर्षों से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है जिसके जीर्णोद्धार हेतु जिला पदाधिकारी, गया द्वारा एक वर्ष पूर्व प्राक्कलन बनाकर प्रधान सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग को भेजा गया है, लेकिन आजतक प्राक्कलन की स्वीकृति नहीं होने के कारण उक्त घाट का जीर्णोद्धार नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति देकर उक्त घाट का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्यटकों के लिये खोलना

*1373. श्री नारायण प्रसाद (क्षेत्र संख्या-6 नौतन)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत उदयपुर जंगल जिला मुख्यालय, बेतिया से 8 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर्यटकों के लिये किचेन शेड एवं सुसज्जित कमरों का निर्माण वर्ष 2014 में किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014 तक उक्त जंगल को पर्यटकों के लिये खोला गया था लेकिन वर्ष 2017 से पर्यटकों के लिये प्रवेश वर्जित कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जंगल को पर्यटकों के लिये खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है । आश्रयणी क्षेत्र में नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर पर्यटक द्वारा प्रवेश पर रोक नहीं है ।

(3) पश्चिमी जिलान्तर्गत उदयपुर, वन क्षेत्र वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत आश्रयणी क्षेत्र घोषित है । आश्रयणी क्षेत्र का प्रबंधन वन्यप्राणियों की सुरक्षा एवं उसके अधिवास में बेहतरी के उद्देश्य से किया जाता है । आश्रयणी क्षेत्र के अन्दर प्रवेश अनुमति प्राप्त कर किया जा सकता है। उदयपुर आश्रयणी में अनुमति प्राप्त कर पर्यटकों के प्रवेश पर कोई रोक नहीं है।

हॉस्टल बनवाना

*1374. श्रीमती मंजू अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी, आमस एवं डोभी में पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिये एक भी हॉस्टल संचालित नहीं है, हॉस्टल के अभाव में गरीब छात्रों का पठन-पाठन प्रभावित होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों में भूमि अधिगृहित कर पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिये हॉस्टल बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य योजनान्तर्गत प्रत्येक जिला में

अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिये एक-एक 100 आसनवाले जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास की निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके आलोक में गया जिला में भी अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिये 100 आसनवाले जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण किया गया है तथा छात्रावास का संचालन (स्थल-कपिलधारा, माड़नपुर) किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त मगध विश्वविद्यालय, बोध गया परिसर में पिछड़े वर्ग के छात्राओं के लिये 100 आसनवाले अन्य पिछड़ा वर्ग (बालिका) छात्रावास के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्तमान में प्रखंड स्तर पर छात्रावास निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

भवन का निर्माण

*1375. श्री बागी कुमार वर्मा (क्षेत्र संख्या-215 कुर्था)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के करपी प्रखंड अन्तर्गत नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, झिकटिया का भवन नहीं रहने के कारण इसे दूसरे विद्यालय में टैग कर दिया गया है, जिस कारण छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में काफी असुविधा हो रही है, जबकि उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो क्या सरकार नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, झिकटिया का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा अभियान से जोड़ना

*1376. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के वित्तरहित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिये सरकारी मापदंड एवं नियम जैसे जाँच, सेवानिवृत्ति, नियमित तालिका, दंड अथवा कार्रवाई, मतदान कार्य, माध्यमिक स्तर की परीक्षा कॉपी का मूल्यांकन आदि लागू होते हैं तथा छात्रों को सरकारी योजनाओं की सुविधाएँ भी मिलती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इन वित्तरहित विद्यालयों के शिक्षा कर्मियों को वेतनानुदान छात्रों के परीक्षाफल के आधार पर मिलने की वजह से यह अनियमित और अत्यल्प है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनुदानित माध्यमिक शिक्षक कर्मियों को नियमित मासिक वेतन, लंबित अनुदान देने एवं वितरहित माध्यमिक विद्यालयों को समग्र शिक्षा अभियान से जोड़ने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महिला महाविद्यालय की स्थापना

*1377. श्री अशोक कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-92 सकरा (अ०ज०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड में एक भी महिला महाविद्यालय नहीं रहने के कारण उच्च शिक्षा के लिये छात्राओं को जिला मुख्यालय, मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है, जिसके कारण गरीब परिवार की इंटरमीडियट उत्तीर्ण छात्राएं स्नातक की पढ़ाई छोड़ने को विवश है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड के विशुनपुर, बघनगरी पंचायत में स्थित 5 एकड़ सरकारी भूमि पर महिला महाविद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण कराना

*1378. डॉ० निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत कटोरिया प्रखंड में हड़हार पंचायत के मकना ग्राम एवं कटोरिया प्रखंड में देवासी पंचायत के हथगढ़ ग्राम में अनुसूचित जन-जाति समुदाय के लोगों का बसावट होने के बावजूद भी सामुदायिक भवन-सह-शेड का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे ग्रामीणों को सार्वजनिक कार्यक्रम एवं शादी-विवाह में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है,

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त दोनों गांवों में सामुदायिक भवन-सह-शेड का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

समस्या का निदान करना

*1379. श्री सूर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के माध्यमिक विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है, में न तो विषय शिक्षक है और न आन्तरिक और बाह्य संरचनाएं ही निर्मित हो सकी है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित समस्याओं का निदान कबतक करना चाहती है ?

उत्पादन की अनुमति देना

*1380. श्री अली अशरफ सिद्दिकी (क्षेत्र संख्या-158 नाथनगर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में 10 से अधिक शराब/बीयर कम्पनियां बंद पड़ी हुई है, जिनकी आधारभूत संरचनाएं बनी हुई हैं तथा इन बंद पड़ी फैक्ट्रियों में जीरो प्रतिशत अल्कोहल, जीरो प्रतिशत बीयर आधारित उद्योग को चलाकर हजारों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, यदि हाँ, तो सरकार बंद पड़ी शराब फैक्ट्रियों/बीयर कम्पनियों में जीरो प्रतिशत अल्कोहल वाली फ्रूट बीयर का उत्पादन करने की अनुमति देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक । राज्य सरकार के मद्यनिषेध नीति, 2015 के आलोक में 5 अप्रैल, 2016 से संपूर्ण राज्य में मद्यनिषेध लागू है, जिसके तहत शराब का विनिर्माण, परिवहन एवं उपयोग प्रतिबंधित है बीयर में 8 प्रतिशत अल्कोहल की मात्रा रहती है । अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ मादक द्रव्य की श्रेणी में आते हैं ।

विभागीय अधिसूचना संख्या 235, दिनांक 24 जनवरी, 2017 द्वारा अनाज आधारित आसवनियों, भारत निर्मित विदेशी शराब के विनिर्माणशाला/बोटलिंग प्लांट और बीयर निर्माणशाला/बोटलिंग प्लांट के मौजूदा परिसर में ही नन अल्कोहलिक (शून्य प्रतिशत अल्कोहल) पेय/बिभरेज बनाने की अनुमति दी गयी है । अधियाचना प्राप्त होने पर विभागीय आदेश संख्या 4584, दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 के द्वारा मेसर्स युनाईटेड ब्रिवरीज लि० को पटना जिलान्तर्गत नौबतपुर में स्थापित बीयर निर्माणशाला में नन अल्कोहलिक (शून्य प्रतिशत अल्कोहल) पेय/बिभरेज बनाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

कार्यवाही करना

*1381. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, अन्तर्गत जगजीवन

महाविद्यालय डेहरी-ऑन-सोन (रोहतास) में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा एम०जे०सी० नं० 3406/2018 में पारित न्यायदेश के तहत 60 शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा समाप्ति के बावजूद विश्वविद्यालय के आदेश पर शासी निकाय द्वारा सत्र 2009-12, 2010-13 का सरकारी अनुदान राशि वितरित किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार माननीय उच्च न्यायालय के पारित न्यायदेश के विरुद्ध सरकार अनुदान राशि वितरित करने वाले दोषियों पर कार्यवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पार्क का निर्माण

*1382. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत नगर परिषद् स्थित कजलामनी वार्ड नं० 02 में पार्क का निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वार्ड में पार्क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का जीर्णोद्धार

*1383. श्री विजय सिंह (क्षेत्र संख्या-68 बरारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बरारी प्रखंड के सुजापुर हाई स्कूल का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण बच्चों के पठन-पाठन में कठिनाई होती है एवं कभी भी छात्र/छात्राओं के साथ दुर्घटना घट सकती है यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम बनाना

*1384. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा हर प्रखंड में एक स्टेडियम बनवाने का प्रावधान है, जबकि किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज प्रखंड में कोई भी स्टेडियम नहीं है जबकि सिंघिया कलामनी पंचायत में सिंघिया हाट और सुनसुनी हाट में भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड में स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पढ़ाई शुरू कराना

*1385. श्री राज कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-144 मटिहानी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय में 11,000 से अधिक छात्राएं स्नातक के लिये विभिन्न विषयों में नामांकित हैं तथा इस जिला से प्रत्येक वर्ष 10,000 से अधिक छात्राएं स्नातक उत्तीर्ण होती हैं परंतु उक्त महिला महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई वर्ष 1997 से ही बंद है, यदि हाँ, तो सरकार श्री कृष्ण महाविद्यालय, बेगूसराय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई हेतु निर्णय लेने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा राशि का भुगतान

*1386. श्री निरंजन कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-71 बिहारीगंज)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के बिहारीगंज विधान सभा में ग्वालापाड़ा प्रखंड के रैसना पंचायत के रैसना गाँव में अमर कुमार, पिता-अभय कुमार की मृत्यु दिनांक 5 नवम्बर, 2022 को एस0एच0 91 पर कुमार खंड थाना अन्तर्गत केवटगामा गाँव के पास वाहन से मृत्यु हो गई थी, जिसका थाना कांड संख्या 493, दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 है, परन्तु मृतक के आश्रित को अभीतक सरकारी मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार मृतक के आश्रित को मुआवजा राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की व्यवस्था

*1387. श्री लखेंद्र कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-130 पातेपुर (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार के सभी पंचायतों में मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित करते हुये उच्च विद्यालय में परिवर्तित किया गया, जिसमें शिक्षकों की व्यवस्था नहीं होने के कारण पठन-पाठन ठप है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक ऐसी शिक्षक विहीन उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम बनवाना

*1388. श्री रामप्रीत पासवान (क्षेत्र संख्या-37 राजनगर (अ0जा0))--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के प्रखंड अन्धराठाढ़ी में स्टेडियम नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार ने सभी प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण का निर्णय लिया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक अन्धराठाढ़ी प्रखंड में स्टेडियम बनवाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

निबंधन कार्यालय खोलना

*1389. डॉक्टर संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के गोगरी अनुमंडल में निबंधन विभाग कार्यालय अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला अन्तर्गत परबत्ता विधान सभा के परबत्ता प्रखंड कार्यालय अपने नये भवन संचालित होने के कारण प्रखंड कार्यालय परबत्ता का पुराना भवन अभी रिक्त है ;

(3) क्या यह बात सही है कि परबत्ता विधान सभा के लोगों के लिये गोगरी अनुमंडल की दूरी 25 किलो मीटर से अधिक है तथा उन्हें निबंधन कार्य के लिये बहुत परेशान होना पड़ता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार परबत्ता प्रखंड कार्यालय के पुराने भवन का उपयोग निबंधन विभाग के कार्यालय हेतु अधिग्रहित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रमाण-पत्र का सुधार

*1390. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य को शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा कराये गये ओल्ड कोर्स के प्रशिसशा में उर्त्तीणता हासिल करने के बावजूद भी 382 प्रशिक्षु शिक्षकों के प्रमाण-पत्र में त्रुटी को सुधार हेतु लम्बित रखा गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि एस0सी0ई0आर0टी0 के निदेशक प्रभारी के पत्रांक 702, दिनांक 18 अप्रील, 2022 द्वारा परीक्षा नियंत्रक विविध बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को डी0एल0एड0 ओल्ड कोर्स के प्रशिक्षण सत्र 2013-15, ए0बी0सी0डी0 2016-18 एवं 2017-18 के सेमेस्टर 1, 2, 3 एवं 4 की आयोजित परीक्षा वर्ष 2018 में त्रुटिपूर्ण परीक्षाफल के सुधार हेतु पत्र प्रेषित किया गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्रशिक्षु शिक्षकों के त्रुटीपूर्ण प्रमाण-पत्र के सुधार कराने हेतु क्या विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*1391. श्री राजीव कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-164 तारापुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि तारापुर विधान सभा अन्तर्गत टेटिया बम्बर प्रखंड के ग्राम-बम्बर स्थित राजकीय बुनियादी विद्यालय, टेटिया बंबर में पठन-पाठन का कार्य एक खपड़ा के मकान में चल रहा है, जो कि काफी जर्जर अवस्था में है, जिससे शिक्षकों एवं बच्चों को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतन भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाना

*1392. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्त बिहार में सैकड़ों मदरसा के प्रधान मोलवियों का सेवानिवृत्ति के पश्चात् अन्य शिक्षकों का वेतन भुगतान लम्बे समय से लम्बित रहने के कारण शिक्षक के परिवार भूखमरी का शिकार हो रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि वरीय शिक्षकों को प्रभार नहीं मिलने के कारण पठन-पाठन एवं मध्याह भोजन से बच्चों को वंचित रहना पड़ता है साथ ही कुछ मदरसा तो शिक्षकविहीन हो गये हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षकविहीन मदरसों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करते हुये शिक्षकों का वेतन भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उपर्युक्त खंड (1), (2) एवं (3) बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से प्राप्त प्रतिवेदानुसार वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों में कार्यरत शिक्षकों के नियुक्ति/प्रोन्नति/सेवा नियंत्रण की शक्ति प्रत्येक मदरसे के प्रबंध समिति में निहित है । मदरसों के प्रधान मौलवियों के सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप इस पद पर पदोनति/नियुक्ति/प्रभारी प्रधान मौलवी के अनुमोदन हेतु संबंधित मदरसे के प्रबंध समिति द्वारा प्रस्ताव, अभिलेख सहित मदरसा शिक्षा बोर्ड को उपलब्ध करायी जाती है । मदरसा बोर्ड द्वारा इसकी समीक्षा कर प्रस्ताव नियमानुकुल पाये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया जाता, तद्उपरान्त प्रधान मौलवी की नियुक्ति की जाती है एवं उन्हीं के हस्ताक्षर से संबंधित मदरसे के कर्मियों का वेतन भुगतान, सचिव मदरसा/स्थानीय शिक्षा पदाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के आधार पर संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाता है ।

समायोजन करना

*1393. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के परम्परागत विश्वविद्यालयों एवं उनके अंगीभूत महाविद्यालयों में यू0जी0सी0 के मापदंडों के आधार पर बहाल लगभग 2600 अतिथि सहायक प्राध्यापक पढ़ा रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि 1972 के बाद सहायक प्राध्यापकों के नये पदों का सृजन नहीं हुआ है और इस दौरान विद्यार्थियों की संख्या में कई गुणा वृद्धि हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यू0जी0सी0 के मानक के अनुरूप शिक्षकों के नये पद का सृजन कर इन अतिथि सहायक प्राध्यापकों का समायोजन करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

बस सेवा की शुरूआत

*1394. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के भिट्ठामोड़-नेपाल-भारत बॉर्डर से पुपरी होते हुये पटना तक सरकारी बस सेवा नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि हर रोज बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन भिट्ठामोड़ से पटना के लिये निजी तथा व्यवसायिक उद्देश्यों से होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में इस मार्ग के लिये सरकारी बस सेवा की शुरूआत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना से प्राप्त पत्रांक 671, दिनांक 1 मार्च, 2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निगम द्वारा लोक निजी भागीदारी योजना अन्तर्गत भिट्ठामोड़-पटना, भाया, सीतामढ़ी मार्ग पर एक बस का परिचालन किया जा रहा है ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक ।

(3) निगम के बस बेड़े में बसों की कमी है । बस बेड़े में बसों की वृद्धि होने पर उक्त मार्ग पर निगम बसों के परिचालन हेतु विचार किया जायेगा ।

चहारदीवारी का निर्माण

*1395. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पताही प्रखंड के गोनाही पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सुगापिपर की चहारदीवारी नहीं रहने से असामाजिक तत्वों तथा पशुओं का हमेशा जमावड़ा लगा रहता है जिसके कारण विद्यार्थियों को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय की चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का जीर्णोद्धार

*1396. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत टिकारी एवं कोंच प्रखंड में स्थित प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में 10 कमरा है जिसमें से 6 कमरा जर्जर है जिसके कारण छात्र एवं छात्राओं को पठन-पाठन करने में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय के भवन का जीर्णोद्धार कराते हुये अतिरिक्त कमरा का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास बनाना

*1397. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ0जा0))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के प्रखंड इटाढ़ी के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिये छात्रावास नहीं होने के कारण छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक प्रखंड इटाढ़ी में जमीन का अधिग्रहण कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का छात्रावास बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1398. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ प्रखंड के ढ़िबरा तथा गुरारू प्रखंड के डीहा में स्टेडियम निर्माण करवाया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों स्टेडियम का निर्माण में उपयोग किये गये सामग्री प्राक्कलन के अनुसार नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों स्टेडियम के निर्माण की जाँच कराकर संबंधित संवेदक तथा पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*1399. श्री सुनील मणि तिवारी (क्षेत्र संख्या-14 गोविन्दगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के अरेराज प्रखंडान्तर्गत बालिका मध्य विद्यालय भवन के अभाव में अंयत्र संचालित हो रहे हैं जबकि बालिका मध्य विद्यालय की अपनी जमीन भी उपलब्ध है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बालिका मध्य विद्यालय के लिये भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का भवन निर्माण

*1400. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला अन्तर्गत प्रखंड फुलवारीशरीफ में स्थित ग्राम-आकोपुर प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर है तथा चहारदीवारी भी नहीं है जिस कारण बच्चे स्कूल के बाहर खुले आसमान के नीचे पढ़ते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय भवन एवं चहारदीवारी बनवाने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

गेट का निर्माण

*1401. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत वीरपुर प्रखंड के डीपहर पंचायत के उच्च विद्यालय डीपहर की चहारदीवारी एवं मेन गेट नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों एवं आवारा पशु का विद्यालय में आवागमन होते रहता है, जिससे छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय के चहारदीवारी एवं मेन गेट का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्लेसमेंट का आयोजन

*1402. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मधुबन)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 24 जनवरी, 2023 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "कॉलेज और विश्वविद्यालयों में कैम्पस प्लेसमेंट की महज खानापूर्ति" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नैक (NACC-National Assessment And Accreditation Council) मूल्यांकन में बिहार के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में प्लेसमेंट की बेहतर व्यवस्था नहीं रहने के कारण ही पिछड़ने की वजह बताया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार के विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट के लिये कोई कमिटी गठित नहीं की गयी है एवं सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में छात्र/छात्राओं के प्लेसमेंट के लिये भी कोई आयोजन नहीं किया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में प्लेसमेंट कमिटी गठित कर समय-समय पर प्लेसमेंट का आयोजन कर छात्रों का नियोजन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम बनाना

*1403. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल के जी०ए०हाई स्कूल मैदान (गांधी मैदान) में मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा था जिसे जिला प्रशासन द्वारा कार्य प्रारंभ होने के बाद अनावश्यक रूप से कुछ लोगों द्वारा विरोध करने के बाद रोक लगा दिया गया हैं, जिससे राज्य स्तर के खेल प्रतियोगिता एवं सेना में भर्ती के तैयारी करने वाले युवाओं को कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार अरवल में स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकेतर कर्मचारी की नियुक्ति

*1404. श्री जनक सिंह (क्षेत्र.संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नहीं होने के कारण पठन-पाठन सूचारू रूप से नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार राज्य में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण कराना

*1405. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति/जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड कल्याणपुर के वृंदावन पंचायत के वृंदावन पासवान टोली वार्ड नं० 14 दलित/महादलित बस्ती में सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड के अभाव

में किसी प्रकार की सामुहिक कार्यक्रम करने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित बस्ती में खाता 26, खेसरा नं० 7273, रकबा-7 बिगहा गैर-मजरूआ आम भूमि उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त खाता खेसरा में सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण कार्य करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1406. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी(अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखण्ड अन्तर्गत पूर्वी करीमुल्लपुर पंचायत के सीज टोला मुसहरी टोली विद्यालय के बगल में चैता सिंह, विनोद सिंह, शिवजी सिंह, गोविन्द सिंह, चन्दन सिंह, सुरेश सिंह सकरी (साहेबगंज, झारखण्ड) की तरफ से इंगलिश और देशी शराब लाता है और 7-8 बजे शाम से खुलेआम शराब पिलाता है, घर में ही कचड़ी बनाकर बेचता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसपर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 22 फरवरी, 2023 को अमदाबाद थाना अन्तर्गत वर्णित स्थानों पर मद्य निषेध, उत्पाद विभाग एवं पुलिस थाना द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी किया गया तथा पुनः दिनांक 24 फरवरी, 2023 को मद्य निषेध विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से वर्णित स्थानों एवं वहां स्थित चैता सिंह, विनोद सिंह, शिवजी सिंह, गोविन्द सिंह, चंदन सिंह एवं सुरेश सिंह के घर पर छापेमारी की गयी किन्तु कोई भी अवैध शराब की बरामदगी नहीं हुयी। वर्णित स्थानों पर दिनांक 22 फरवरी, 2023 को ब्रेथ एनालाईजर से जाँच किया गया, लेकिन इस जाँच में किसी भी व्यक्ति के शराब सेवन की पुष्टि एवं गिरफ्तारी नहीं हुयी लेकिन दिनांक 24 फरवरी, 2023 को ब्रेथ एनालाईजर जाँच में एक व्यक्ति के शराब सेवन की पुष्टि एवं गिरफ्तारी की गयी है।

इसके पूर्व अमदाबाद पुलिस थाना द्वारा उक्त स्थल पर दिनांक 8 अगस्त, 2022 एवं 11 दिसम्बर, 2022 को छापेमारी कर सुरेश सिंह के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 30(a) के अंतर्गत कांड सं० 180/22, दिनांक 8 अगस्त, 2022 (दर्ज प्राथमिकी की छायाप्रति सलंग्न) दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। सुरेश सिंह को पुनः कांड सं० 289/22, दिनांक 11 दिसम्बर, 2022 (दर्ज प्राथमिकी की छायाप्रति संलग्न) में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, गिरफ्तार किया गया था। वहीं हनुमान सिंह एवं जयप्रकाश सिंह उर्फ चैता सिंह दोनों के पिता शंकर सिंह के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 30(a) के तहत मामला दर्ज है, जिसमें हनुमान सिंह को कांड सं० 246/21, दिनांक 20 नवम्बर, 2021 (दर्ज प्राथमिकी की छायाप्रति संलग्न) गिरफ्तार किया गया था। कांड सं०18/23, दिनांक 30 जनवरी, 2023 (दर्ज प्राथमिकी की छायाप्रति संलग्न) में सुनीता देवी, पति विनोद सिंह को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 30(a) के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया ।

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में थानाध्यक्ष, अमदाबाद द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अमदाबाद थाना कांड सं० 246/21 दिनांक 20 नवम्बर, 2021 (दर्ज प्राथमिकी की छायाप्रति संलग्न) धारा 30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के विरुद्ध 1. हनुमान सिंह, पे०-शंकर सिंह, 2. जयप्रकाश सिंह उर्फ चैता सिंह, सा०-नवरसिया सीज, थाना-अमदाबाद, जिला-कटिहार के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया । इस कांड में विदेशी शराब भी जब्त किया गया तथा अनुसंधान पूर्ण करते हुये आरोप पत्र सं० 42/22, दिनांक 18 फरवरी, 2022 समर्पित किया गया।

अमदाबाद थाना कांड सं० 180/11, दिनांक 8 अगस्त, 2022 (दर्ज प्राथमिकी की छायाप्रति संलग्न) धारा 30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 विरुद्ध 1. सुरेश सिंह, पे०-महेन्द्र सिंह, 2. चंदन कुमार सिंह, पे०-भोला सिंह दोनों सा०-नवरसिया सीज, थाना-अमदाबाद, जिला-कटिहार के विरुद्ध दर्ज किया गया तथा इसका अनुसंधान पूर्ण करते हुये थाना कांड सं० 284/22, दिनांक 11 फरवरी, 2022 समर्पित किया गया है।

अमदाबाद थाना कांड सं० 289/22, दिनांक 11 दिसम्बर, 2022 (दर्ज प्राथमिकी की छायाप्रति संलग्न) धारा 30(a), बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 विरुद्ध 1. सुरेश सिंह, पे०-महेन्द्र सिंह, नवरसिया सीज, थाना-अमदाबाद, जिला-कटिहार के विरुद्ध दर्ज किया गया था। इस कांड में अवैध देशी शराब बरामद किया गया था तथा अनुसंधान पूर्ण करते हुये आरोप पत्र सं० 01/23, दिनांक 20 जनवरी, 2023 समर्पित किया गया है।

अमदाबाद थाना कांड सं० 18/2023, दिनांक 30 जनवरी, 2023 धारा 30(a), बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 विरुद्ध 1. सुनीता देवी, पति-विनोद सिंह, सा०-नवरसिया सीज, थाना-अमदाबाद, जिला-कटिहार के विरुद्ध दर्ज किया गया है। इस कांड में देशी शराब बरामद किया गया था, जो अभी अनुसंधान के अन्तर्गत है। ये अभियुक्त विनोद सिंह की पत्नी है।

साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि चिन्हित व्यक्ति 1. शिवजी सिंह, 2. गोविन्द सिंह, 3. चंदन सिंह तीनों पे०-श्यामसुन्दर सिंह तीनों सा०-नवरसिया सीज, थाना-अमदाबाद, जिला-कटिहार कांड के अभियुक्त नहीं है तथा बहुत दिनों से राज्य के बाहर हैं।

समायोजन करना

*1407. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मानव संसाधन विभाग, भारत सरकार द्वारा फरवरी, 2008 में कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय को मॉडल 3 में परिवर्तित कर दिया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि मॉडल 3 कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय में पूर्णकालीन शिक्षक का पद स्वीकृत नहीं होने के बावजूद पूरे बिहार में वर्ष 2008 से ही पूर्णकालीन शिक्षिका के पद पर बहाली होते रही और विभाग अपनी गलती को कानूनी रूप से सही दिखाने के लिये पदनाम परिवर्तित करता रहा पूर्णकालीन शिक्षिका को अंशकालीन शिक्षका फिर अंशकलीन शिक्षका को व्यवसायिक अनुदेशिका जो गलत था ;

(3) क्या यह बात सही है कि पुन: अंशकालीन शिक्षिका के 1249 पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 15 वर्षों से कार्यरत अंशकालीन शिक्षिका वर्तमान में व्यवसायिक अनुदेशिका को पूर्व पद अंशकालीन शिक्षिका के पद पर समायोजन करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दवा कंपनियों पर निगरानी

*1408. श्री फते बहादुर सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डिहरी)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि आयुष विभाग द्वारा License प्राप्त होमियोपैथिक दवा निर्माण ईकाइयों को होमियोपैथिक दवा बनाने के लिये आवश्यक (इएनए) Extra Neutral Alcohol की आवंटन पर मद्य निषेध विभाग द्वारा रोक लगा दी गयी है। जिसके कारण राज्य की 13 से ज्यादा कंपनियों पर ताला लग चुका है और कुछ कंपनियों को बिहार छोड़कर अन्य राज्यों में जाने के लिये विवश होना पड़ा है। साथ ही राज्य में रोजगार कम हुआ है तथा सरकारी राजस्व की भी कमी हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार दवा कंपनियों के लिये निगरानी के साथ (इएनए) Extra Neutral Alcohol का अवांटन करने का विचार रखती है ?

कमियों को दूर कराना

*1409. श्री अशोक कुमार (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बुनियादी विद्यालय हाँसा तथा रा० उच्च विद्यालय सिरोपट्टी खतुआहा में छात्र-छात्राओं के अनुपात में वर्ग कक्षा हेतु कमरे तथा हॉल के कमी के कारण पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय की सभी कमियों को दूर कराकर पठन-पाठन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1410. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत पुपरी प्रखंड के ग्राम पंचायत राज गंगटी का प्राथमिक विद्यालय कसाब टोल रामपुर खुर्द भवनहीन है, जिसके कारण बच्चों को अध्ययन हेतु दूसरे विद्यालय जाना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ग्रामीणों द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय कसाब टोल के भवन निर्माण हेतु राज्यपाल के नाम भूमि का निबंधन करा दिया गया है, जिसका मौजा-रामपुर खुर्द, खाता 379, खेसरा 925, रकबा-0.11 डी० तथा दानकर्ता मो० बदरे आलम, पिता-स्व० शाहिद कुरैशी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजकीय प्राथमिक विद्यालय कसाब टोल के भवन के निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन बनवाना

*1411. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के गांवों व टोलों में सरकार द्वारा 50X60 वर्ग फीट जमीन में सामुदायिक भवन बनवाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के कलेर प्रखंड के जयपुर, कोइल-इस्माइलपुर करपी प्रखंड के रामपुरचाय एवं पीढ़ी समेत दर्जनों दलित बस्तियां मानक से कम जमीन होने के कारण सामुदायिक भवन से वंचित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनुसूचित जाति एवं जन-जाति वसावाट वाले गांवों व टोलों पर 50X60 वर्ग फीट से कम जमीन अथवा सरकार द्वारा जमीन खरीदकर सामुदायिक भवन बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1412. श्रीमती अरूणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के काशीचक प्रखंड में एक भी स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इंटर विद्यालय चंडीनोवां में स्टेडियम बनाने हेतु एक मानक खेल मैदान उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक उक्त खेल मैदान में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवनों के जीर्णोद्धार

*1413. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिले के सुलतानगंज विधान सभा में पार्वती देवी उच्च विद्यालयों एवं कृष्ण नन्द इंटरस्तरीय उच्च विद्यालयों तथा प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों हथिऔव के भवन जर्जर स्थिति में होने के कारण पठन-पाठन बाधित हो रहा है

(2) यदि उपरोक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वैसे विद्यालयों भवनों के जीर्णोद्धार का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1414. श्री बीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 बजीरगंज)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० बिहार पटना द्वारा मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अन्तर्गत गया जिला के वजीरगंज प्रखंड के केदार नाथ उच्च विद्यालय तरवां में स्टेडियम का निर्माण हेतु निविदा कराई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि न्यूनतम सफल निविदा दाता द्वारा कोई कार्य नहीं कराई गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्टेडियम का निर्माण करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन एवं चहारदीवारी का निर्माण

*1415. श्री अमर कुमार पासवान (क्षेत्र संख्या-91 बोचहां (अ०जा०)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के बोचहां विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय मणिका हरिकेश प्रखंड मुशहरी सेढ़ा टोला का भवन जर्जर है एवं चहारदीवारी नहीं रहने के कारण पठन-पाठन बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय का भवन एवं चहारदीवारी निर्माण कराकर विद्यालय में पठन-पाठन सुचारू रूप से कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन एवं चहारदीवारी का निर्माण

*1416. डॉक्टर संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत परबत्ता विधान सभा क्षेत्र में परबत्ता प्रखंड के माधवपुर पंचायत के मुरादपुर में मध्य विद्यालय भवन जर्जर स्थिति में है ;

(2) क्या यह बात सही है कि परबत्ता प्रखंड के खजरैठा पंचायत के उच्च विद्यालय मधुरापुर में खपरैल भवन है जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ;

(3) क्या यह बात सही है कि परबत्ता प्रखंड के जोरावरपुर पंचायत के नयागांव सतखुट्टी मध्य विद्यालय बालक में चहारदीवारी नहीं है जिससे आसामाजिक तत्वों एवं पशुओं से बच्चों को पठन-पाठन में परेशानी होती है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित विद्यालय के भवन और चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*1417. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत नव सृजित प्राथमिक विद्यालय जनता बाजार कतालपुर तथा सिधवलिया प्रखंड के नव सृजित प्राथमिक विद्यालय बरहिमा नोनिया टोला में भवन निर्माण नहीं होने के कारण छात्र/छात्राओं के पठन-पाठन में असुविधा होती है, जबकि इसके लिये भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित नव-सृजित प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अंबेडकर भवन का निर्माण

*1418. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के

बरियारपुर प्रखंड के करहरिया पूर्वी पंचायत के महादलित टोला घोरघट में अंबेडकर भवन का निर्माण नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त टोला में अंबेडकर भवन का निर्माण करावाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1419. श्री कृष्णनंदन पासवान (क्षेत्र संख्या-13 हरसिद्धि (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तग्रत हरसिद्धि प्रखंड के ग्राम पंचायत कृतपुर में 10+2 बुनियादी विद्यालय कृतपुर मठिया में चहारदीवारी नहीं रहने से पशुओं का चारागाह बनकर रह गया है, जिससे पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कबतक उक्त विद्यालय का चहारदीवारी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आँगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना

*1420. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनिया (अ०जा०))--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत मोहनिया नगर के वार्ड 06 में आँगनबाड़ी केन्द्र संचालित नहीं होने से निर्धन परिवारों को योजनाओं को लाभ ससमय नहीं मिल पा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012 में सरकार द्वारा राज्य के सभी वार्डों में आँगनबाड़ी केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया था ;

(3) क्या यह बात सही है कि मोहनिया नगर के उक्त वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु अर्हता के अनुरूप जमीन भी उपलब्ध है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वार्ड में आँगनबाड़ी केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक है । मोहनिया वार्ड नं० 06 में आँगनबाड़ी केन्द्र नहीं है, परन्तु आँ० केन्द्र संख्या 44, केन्द्र का नाम डडवाँ I की सेविका द्वारा वार्ड 06 के लाभार्थियों को टीकाकरण, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जन्म-मृत्यु पंजीकरण एवं आधार पंजीकरण का लाभ दिया जा रहा है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) अस्वीकारात्मक है । अंचलाधिकारी, मोहनिया के पत्रांक 508, दिनांक 23 फरवरी, 2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मोहनियाँ वार्ड संख्या 06 में सुयोग्य श्रेणी की सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है ।

(4) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है । भारत सरकार से अतिरिक्त आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति प्राप्त होते ही प्राथमिकता के आधार पर सरकार आँगनबाड़ी केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है ।

जानकारी उपलब्ध कराना

*1421. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखंड बैकुंठपुर, सिधवलिया एवं बरौली में अनुसूचित जाति/जन-जाति समाज के लिये समाजिक जन सुविधा हेतु अबतक कितने समुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण हो चुका है एवं कितने बाकी है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन बनाना

*1422. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय बखरौर जददी का भवन पुराना एवं जर्जर अवस्था में है, जिससे वर्ग संचालन में कठिनाई होती है एवं किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार वर्ग संचालन हेतु विद्यालय भवन बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी बनवाना

*1423. श्रीमती वीणा सिंह (क्षेत्र संख्या-129 महनार)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत महनार नगर परिषद् अंतर्गत वार्ड नं० 24 में एक ही जगह पर प्राथमिक विद्यालय कन्या और प्राथमिक विद्यालय बालक स्थित है, का भवन क्षतिग्रस्त है एवं चहारदीवारी नहीं होने से परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में नया भवन और चहारदीवारी बनवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चालान की अवधि विस्तार करना

*1424. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकारी प्रावधानानुसार बालू घाटों से गाड़ियों के लिये निर्गत चालान की अवधि मात्र 24 घंटों की होने के वजह से सड़कों पर आये दिन होती भीषण जाम के कारण गाड़ियों का गन्तव्य स्थान पर अंडर लोड नहीं होने के फलस्वरूप संबंधित विभाग के पदाधिकारियों द्वारा दंडात्मक कार्रवाई करते हुये जुर्माने की राशि की वसूली की जा रही है, जिससे गाड़ी मालिकों सहित बालू उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रावधान में संशोधन कर चालान की अवधि विस्तार करने विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पार्क का निर्माण

*1425. श्रीमती रश्मि वर्मा (क्षेत्र संख्या-3 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत नरकटियागंज शहर में पोखरा चैक में रामजानकी मंदिर अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मंदिर का काफी जमीन है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पोखरा चैक के रामजानकी मंदिर में एक पार्क का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

हॉस्टल का निर्माण

*1426. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत संग्रामपुर प्रखंड के उत्तरी मधुबनी पंचायत के दरियापुर ग्राम में स्थित मदरसा तथा केसरिया प्रखंड के गोछी कुशहर पंचायत में अवस्थित मदरसा में हॉस्टल नहीं रहने के कारण बच्चों का पठन-पाठन बाधित होता है, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त दोनों पंचायतों में हॉस्टल का निर्माण कराने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा में कार्यरत कर्मियों के मात्र वेतनानुदान भुगतान हेतु सरकार द्वारा अनुदान स्वरूप राशि उपलब्ध करायी जाती है । मदरसा के आधारभूत संरचना की जिम्मेवारी संबंधित मदरसा के प्रबंध समिति की होती है ।

बस स्टैंड का निर्माण

*1427. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सोनपुर प्रखंडान्तर्गत कसमर पंचायत के पहलेजा घाट स्थित बंद पड़े बस पड़ाव (बस स्टैंड) से छपरा, सीवान, गोपालगंज, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर जाने के लिये बस खुला करती थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के बाहर से आये लोगों को पाटलीपुत्र स्टेशन एवं पटना रेलवे स्टेशन से बस पकड़ने बैरिया बस पड़ाव जाने से आसान जे०पी० पुल होकर पहलेजा जाना होगा ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बंद पड़े बस पड़ाव (बस स्टैंड) का निर्माण जनहित में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सत्र का विलम्ब होना

*1428. श्री विजय कुमार उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 9 जुलाई, 2022 के अंक में छपी खबर के शीर्षक "सत्र विलम्ब होने से हर साल तीन लाख छात्र चले जाते हैं बाहर" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में पटना विश्वविद्यालय को छोड़ अन्य सभी विश्वविद्यालयों के सत्र 3 से 5 साल विलम्ब से चलने के कारण हर साल लगभग 3 लाख छात्र उच्च शिक्षा के लिये उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात तथा कर्नाटक जैसे राज्यों में चले जाते हैं, जिसके कारण सरकारी राजस्व की क्षति होती है, यदि हाँ, तो राज्य के विश्वविद्यालय के सत्र के विलम्ब होने का क्या औचित्य है ?

मुआवजा राशि का भुगतान

*1429. श्री निरंजन कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-71 बिहारीगंज)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के बिहारीगंज विधान सभा में ग्वालापाड़ा प्रखंड के रैसना पंचायत के विशनपुर अरार (धिमेली) के वार्ड नं० 6 के कुनाल कुमार, पिता धन्जय यादव की मृत्यु दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 को एस०एच०106 पर अरार पुल से तीन सौ मीटर दक्षिण बस से हो गयी थी, जिसका कांड संख्या 220, दिनांक 18 अक्टूबर, 2022 दर्ज है; परन्तु मृतक के आश्रित का अभीतक मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार मृतक के आश्रित को मुआवजा राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय खोलना

*1430. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखण्ड के धपरसिया ग्राम पंचायत के दो हजार की आबादी वाले पल्लावाड़ी ग्राम में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, जिसके कारण छात्र-छात्रा को प्राथमिक शिक्षा के लिये दो कि०मी० दूरी तय कर चौकी जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्राम में प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*1431. श्री प्रहलाद यादव (क्षेत्र संख्या-167 सूर्यगढ़ा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा विधान सभा क्षेत्र (167) में डिग्री महाविद्यालय नहीं होने के कारण डिग्री प्राप्त करने हेतु छात्राओं को अन्यत्र महाविद्यालय में जाना पड़ता है या छात्राएँ (लड़कियाँ) बाहर जाकर डिग्री लेने से वंचित हो जाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सूर्यगढ़ा विधान सभा में डिग्री कॉलेज खोलवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*1432. श्री राज कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-144 मटिहानी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मटिहानी विधान सभा अन्तर्गत शाम्हो प्रखण्ड भौगोलिक दृष्टिकोण से जिला मुख्यालय से लगभग 75 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है तथा अनुमंडल मुख्यालय में डिग्री कॉलेज के स्थापना के प्रावधान के कारण शाम्हो के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षाग्रहण करने के लिये सड़क मार्ग से 75 किलो मीटर एवं जलमार्ग से 17 किलो मीटर की दूरी तय कर बेगूसराय जाना पड़ता है, जिस कारण छात्र/छात्राओं को काफी कठिनाई होती है तथा ज्यादातर बच्चें इस कठिनाई के चलते उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार वर्तमान में अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज निर्माण के नियम को शिथिल करते हुये शाम्हो में एक डिग्री कॉलेज कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पात्रता परीक्षा आयोजित करना

*1433. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि संगीत शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बिहार सरकार द्वारा मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक +2 विद्यालयों में संगीत शिक्षक का पद सृजित एवं स्वीकृत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि संगीत शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 के बाद अभीतक संगीत शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं ली गयी है, जिसके कारण मध्य विद्यालय में नगण्ड, उच्च विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक +2 विद्यालय में 50 प्रतिशत से अधिक संगीत शिक्षकों का पद रिक्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संगीत शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिये विशेष पात्रता परीक्षा आयोजित करना चाहती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बालू खनन पर रोक

*1434. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत बेलोरी एवं पूर्णियाँ सिटी में सौरा नदी से विभागीय अधिकारी के मिली भगत से बालू माफिया द्वारा अवैध बालू खनन किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों जगहों पर अवैध बालू खनन से सौरा नदी की धारा बदलने लगी है तथा विभाग को राजस्व की हानी हो रही है नदी की धार बदलने से स्थानीय लोग बाढ़ से प्रभावित होने लगे है तथा कुछ स्थानों पर नदी की धारा बदलने के कारण कटाव भी हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में बेलौरी एवं पूर्णियाँ सिटी सौरा नदी से अवैध बालू खनन में संलिप्त विभागीय अधिकारी एवं बालू माफिया के द्वारा बालू खनन की उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने तथा अवैध बालू खनन पर रोक लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पोलिटेक्निक कॉलेज खोलना

*1435. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला में एक भी महिला पोलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, जबकि सरकार द्वारा प्रत्येक जिला में महिला पोलिटेक्निक कॉलेज खोलने का निर्णय है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर में महिला पोलिटेक्निक कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक है। राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिला में पोलिटेक्निक संस्थान की स्थापना का निर्णय है। समस्तीपुर जिला के अंचल विभुतिपुर, मौजा-किशुनपुर टभका में कामेश्वर नारायण सिंह, राजकीय पोलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गयी है, जो स्थायी परिसर में संचालित है एवं पठन-पाठन की प्रक्रिया प्रारंभ है।

(2) समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभूतिपुर में महिला पोलिटेक्निक कॉलेज स्थापित करने की वर्तमान में सरकार की कोई योजना नहीं है।

पोलिटेक्निक कॉलेज स्थापित करना

*1436. श्री हरीभूषण ठाकुर "बचोल" (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत बेनीपट्टी अनुमंडल में पोलिटेक्निक कॉलेज नहीं होने के कारण क्षेत्र के विद्यार्थियों को बाहर रहकर तकनीकी पढ़ाई करनी पड़ती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिला में पोलिटेक्निक संस्थान की स्थापना का निर्णय है।

पूर्व से ही मधुबनी जिला के अंचल झंझारपुर, मौजा-अररिया संग्राम में राजकीय पोलिटेक्निक, मधुबनी की स्थापना की गयी है, जो शैक्षणिक सत्र 2016-17 से संचालित है एवं पठन-पाठन की प्रक्रिया प्रारंभ है।

उल्लेखनीय है कि पोलिटेक्निक संस्थानों में छात्र-छात्राओं का प्रवेश राज्य स्तर पर आयोजित सामान्य संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से मेधा-सह-विकल्प के आधार पर लिया जाता है न कि क्षेत्रीय आधार पर।

अत: मधुबनी जिला में अन्य राजकीय पोलिटेक्निक संस्थान स्थापित किये जाने की सरकार की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

कमरा निर्माण करना

*1437. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के तिलौथु प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-बाराडीह स्थित मदरसा में एक बड़ा कमरा नहीं होने के कारण काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार तिलौथु प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-बाराडीह स्थित मदरसा में अतिरिक्त कमरा निर्माण कराने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण कराना

*1438. श्री हरीभूषण ठाकुर "बचोल" (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत रहिका प्रखण्ड में खेल स्टेडियम नहीं है, जिस कारण प्रतिभावान युवा खेलों के विकास में पिछड़े हुये हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार रहिका में स्टेडियम निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 40, दिनांक 22 फरवरी, 2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अंचलाधिकारी, रहिका के पत्रांक 1997, दिनांक 24 जून, 2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि रहिका प्रखण्ड मुख्यालय में विभागीय मानक अनुरूप भूमि उपलब्ध नहीं है। जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा अंचलाधिकारी, रहिका को उक्त प्रखण्ड में विभागीय मानक के अनुरूप भूमि चिन्हित कर अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

भवन नव निर्माण

*1439. श्री प्रमोद कुमार सिन्हा (क्षेत्र संख्या-10 रक्सौल)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किं क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के रक्सौल प्रखंड अन्तर्गत पनटोका पंचायत के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, हरैया का भवन जर्जर होने से बच्चों के पठन-पाठन में बाधा हो रही है, जर्जर भवन के कारण किसी भी समय हादसा हो सकता है, यदि हाँ, तो सरकार उत्क्रमित उच्च विद्यालय, हरैया का भवन नव-निर्माण करना चाहती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आँगनबाड़ी केन्द्रों का भवन बनाना

*1440. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 03 दिसम्बर, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "जमीन के पेंच में फंसा आँगनबाड़ी केन्द्र नहीं मिल रहा अपना भवन" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 1 लाख 14 हजार आँगनबाड़ी केन्द्रों में से केवल 26,097 आँगनबाड़ी केन्द्रों का अपना भवन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि किराये के मकान में चल रहे आँगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों के लिये सुविधायें नगण्य है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किराये के मकान में चल रहे आँगनबाड़ी केन्द्रों के बजाय अपना भवन बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक है।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है। राज्य अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों पर आधारभूत सुविधाएँ जैसे-शौचालय, पीने का पानी, स्कूल पूर्व शिक्षा सामग्री एवं स्वच्छता संबंधी सामग्री आदि की सुविधाएँ उपलब्ध है।

(3) भारत सरकार के नीतिगत निर्णय के आलोक में केन्द्र भवन निर्माण का कार्य मनरेगा के अभिसरण से अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से तथा योजना एवं विकास विभाग को सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना/मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना निधि के द्वारा भी आँगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण कराया जा सकता है। इस हेतु माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के द्वारा सभी माननीय विधान मंडल सदस्यों से पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि अपने क्षेत्र अन्तर्गत उक्त योजना के तहत केन्द्र भवन निर्माण हेतु अनुशंसा की जाये। उक्त आशय का पत्र सचिव, समाज कल्याण विभाग के द्वारा आई०सी०डी०एस० निदेशालय के पत्रांक 442, दिनांक 20 फरवरी, 2023 से सभी जिला पदाधिकारी को भेजा गया है।

भूमि की उपलब्धता होने पर चरणबद्ध रूप से आँगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण कराया जायेगा।

सुविधा युक्त बस स्टैंड बनाना

*1441. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चंपारण जिलान्तर्गत बेतिया में सुदूर क्षेत्र के लोगों को रात ठहरने, धूप, बारिश, ठंड से बचाव के लिये बेहतर सुविधा युक्त बस स्टैंड नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बेतिया में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बस स्टैंड बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विश्वविद्यालय की स्थापना

*1442. श्री राम रतन सिंह (क्षेत्र संख्या-143 तेघड़ा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राष्ट्रकवि दिनकर की जन्मभूमि बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की मांग पिछले 10 वर्षों से बुद्धिजीवियों, छात्र-छात्राओं, नौजवानों एवं जिला के समस्त नागरिकों की ओर से उठती रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिले के सभी महाविद्यालयों में इंटर से पीजी तक लगभग 70,000 छात्र/छात्राओं की संख्या है एवं वर्तमान मिथिला विश्वविद्यालय की दूरी जिला से लगभग 125 किलो मीटर है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जिला में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1443. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड नीमचक बथानी स्थित गुलाबचंद उच्च विद्यालय का जमीन उपलब्ध है, फिर भी बच्चों के खेलने एवं मनोरंजन के लिये स्टेडियम का निर्माण अभीतक नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के जमीन में स्टेडियम निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदाधिकारी का पदस्थापन

*1444. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत प्रखंड बैसा में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सी०डी०पी०ओ० पदस्थापित नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अमौर को प्रखंड बैसा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जिस कारण उक्त दोनों प्रखंडों में आँगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक प्रखंड बैसा में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) अस्वीकारात्मक है । जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पत्रांक 277, दिनांक 27 फरवरी, 2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अमौर को बैसा परियोजना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था परन्तु वर्तमान में अमौर में पदस्थापित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के चिकित्सीय अवकाश में चले जाने के कारण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पूर्णियाँ ग्रामीण, पूर्णियाँ को बैसा परियोजना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है तथा दोनों प्रखंडों में सुचारू रूप से आँगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है ।

(3) समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 4341, दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 के द्वारा 55 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी गयी है, जिसके आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 11693, दिनांक 10 दिसम्बर, 2020 द्वारा नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गयी है । बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 03/2021 द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है । बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत रिक्त प्रखंडों में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की नियमित पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी ।

अतिक्रमण मुक्त कराना

*1445. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के शाहकुण्ड प्रखंड में पवित्र गिरवर नाथ पर्वत अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पर्वत अतिक्रमित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसे अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रोक लगाना

*1446. श्री राम चन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-84 हायाघाट)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को दुरूस्त करने हेतु दृढ़संकल्पित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा से मान्यता प्राप्त निजी बी०एड० महाविद्यालयों में बी०एड० के अभ्यर्थियों से स्पॉट नामांकन में नामांकन शुल्क के अलावा अतिरिक्त राशि लिये जाने के बाद ही अभ्यर्थियों का नामांकन किया जाता है ;

(3) यदि हाँ, तो क्या सरकार खंड (2) में वर्णित विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त निजी बी०एड० महाविद्यालयों में स्पॉट नामांकन शुल्क के अतिरिक्त राशि लिये जाने पर रोक लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का उत्क्रमण

*1447. श्री सिद्धार्थ पटेल (क्षेत्र संख्या-125 वैशाली)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बच्चों को माध्यमिक शिक्षा की सुलभ पहुँच हेतु सरकार की घोषित नीति प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक उच्च विद्यालय की स्थापना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महुआ अनुमंडल के प्रखंड गोरौल अन्तर्गत गोरौल भगवानपुर एक ग्राम पंचायत है, जिसकी आबादी लगभग ग्यारह हजार है, इस ग्राम पंचायत में एक भी उच्च विद्यालय नहीं है, ग्राम पंचायत गोरौल भगवानपुर में दो मध्य विद्यालय एवं तीन प्राथमिक विद्यालय है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्राम पंचायत गोरौल, भगवानपुर में एक मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1448. श्री रत्नेश सादा (क्षेत्र संख्या-74 सोनवर्षा (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड के पंचायत खजुराहा के मध्य विद्यालय, बघेल के प्रधानाध्यापक के द्वारा प्रोग्राम पदाधिकारी, संसाधन सेवा के साथ मिलीभगत कर मध्याह्न भोजन में अनियमितता बरती जा रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खेलने योग्य बनाना

*1449. श्री नन्द किशोर यादव (क्षेत्र संख्या-184 पटना साहिब)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पटना साहिब विधान सभा में गुलजारबाग स्टेडियम स्थित है, जिसके आधारभूत संरचना का निर्माण पटना जिला प्रशासन के द्वारा वर्ष 2017 में कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2018 में उक्त स्टेडियम के मैदान को खेलने योग्य बनाने एवं उपस्कर क्रय के लिये निविदा आमंत्रित की गयी,, निविदा निष्पादन के उपरान्त कार्य सम्पन्न भी हुआ, परन्तु मैदान की स्थिति आज भी खेलने योग्य नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गुलजारबाग स्टेडियम के मैदान को खेलने योग्य बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई कराना

*1450. श्री रत्नेश सादा (क्षेत्र संख्या-74 सोनवर्षा (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड के मध्य विद्यालय, मैना, अंचल सोनवर्षा-सह-संचालक कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय, सोनवर्षा में प्रधानाध्यापक के पद पर श्री सुनील कुमार काफी लम्बे समय से पदस्थापित हैं, इनके द्वारा विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग और महिला को डराने-धमकाने का कृत्य किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा के कार्यक्रम पदाधिकारी के पत्रांक 341, दिनांक 7 जुलाई, 2022 के द्वारा विद्यालय का औचक निरीक्षण कराकर प्रधानाध्यापक के द्वारा विद्यालय के कार्यों में लापरवाही बरतने एवं महिला शिक्षिका के साथ अभद्र व्यवहार करने का तथ्य सही पाया गया और अन्यत्र स्थानांतरण हेतु अनुशंसा की गई ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी प्रधानाध्यापक पर विभागीय कार्रवाई संचालित करते हुये अन्यत्र स्थानांतरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आँगनबाड़ी सेविकाओं को बकाया राशि का भुगतान

*1451. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के 0-21 दिनों के अन्दर हुये जन्म एवं मृत्यु के घटनाओं के निबंधन हेतु अधिसूचना संख्या 151, दिनांक 30 जनवरी, 2012 को आँगनबाड़ी सेविका को उप-रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) अधिसूचित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आँगनबाड़ी सेविकाओं को जन्म और मृत्यु की घटनाओं के निबंधन कार्य करने हेतु प्रति निबंधन बीस रुपये की दर से मानदेय भुगतान करने का प्रावधान है परंतु आजतक किसी भी आँगनबाड़ी सेविकाओं को इसका भुगतान नहीं किया गया है जबकि प्रत्येक वर्ष विपत्र जमा करवाया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक निबंधन (जन्म और मृत्यु) कार्य करने वाले आँगनबाड़ी सेविकाओं को बकाया राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*1452. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के ज्ञापांक 1261, 11 मार्च, 2000 के तहत अनुसूचित जनजाति (गोड़) के श्री ब्रजकिशोर प्रसाद शिक्षक के पद पर नियुक्ति की गई, श्री प्रसाद ने दिनांक 15 मार्च, 2000 को योगदान दिया था और लगातार 20 माह तक कार्यरत भी रहे परन्तु वेतन नहीं मिला और बिना स्पष्टीकरण पूछे गलत जाँच प्रतिवेदन एवं गलत जाति प्रमाण-पत्र दिये जाने के आधार पर सेवा से विमुक्त कर दिया गया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार श्री प्रसाद को प्राथमिक शिक्षक के पद पर योगदान कराते हुये दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति

*1453. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत किसी भी माध्यमिक एवं उत्क्रमित प्लस टू विद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से पुस्तकालय संचालन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महिला शौचालय का निर्माण

*1454. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत टी0एन0बी0 कॉलेज समेत जिले के सभी कॉलेजों में अलग महिला शौचालय नहीं रहने के कारण बच्चियों को काफी कठिनाइयाँ होती है, यदि हाँ, तो सरकार भागलपुर जिले के टी0एन0बी0 कॉलेज समेत जिले के सभी कॉलेजों में अलग महिला शौचालय की व्यवस्था करने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी बनवाना

*1455. श्रीमती वीणा सिंह (क्षेत्र संख्या-129 महनार)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत महनार प्रखंड के सरमस्तपुर पंचायत के मानिकपट्टी गाँव में उत्क्रमित उच्च विद्यालय के पुराने सारे भवन जर्जर होकर गिर चुके हैं जिस कारण बच्चे खुले आकाश के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उस विद्यालय में चहारदीवारी नहीं होने के कारण पशुओं का आना-जाना लगा रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के लिये नये भवन और चहारदीवारी बनवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*1456. श्री मनोज यादव (क्षेत्र संख्या-163 बेलहर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेलहर विधान सभा अन्तर्गत बेलहर प्रखंड के पंचायत तेलिया कुमरी, ग्राम-बगदसवा, तेलिया कुमरी, ग्राम-धनयारी, बसमत्ता, रघुनाथपुर, श्रीनगर एवं निमिया में विद्यालय भवन के लिये स्वीकृति दिनांक 20 जून, 2013 को दी गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्वीकृति मिलने के अभीतक विद्यालय भवन का निर्माण नहीं कराये जाने के कारण छात्रों को पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

महाविद्यालय खोलना

*1457. श्री नन्द किशोर यादव (क्षेत्र संख्या-184 पटना साहिब)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पटना साहिब विधान सभा में छात्राओं के लिये एक ही महाविद्यालय स्थित है जिसके कारण छात्राओं को काफी लम्बी दूरी तयकर पठन-पाठन के लिये महाविद्यालय आना-जाना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के पास पटना घाट रेलवे स्टेशन के समीप बड़ा भू-खंड है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त खाली भू-खंड पर छात्राओं के लिये एक महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस चलाना

*1458. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही प्रखंड के बाबूबरही से पिपराही, मधुबनी होते हुये पटना के लिये सरकारी बस परिचालन की सुविधा नहीं रहने के कारण आम नागरिकों को पटना आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त एस0 एच0 सड़क खुटौना से बाबूबरही होते हुये मधुबनी जाने वाली मुख्य मार्ग है साथ ही पड़ोसी देश नेपाल से सटा रहने के कारण उक्त स्थान पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है जहाँ लोगों का आना-जाना लगा रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना से बाबूबरही एवं बाबूबरही से पटना के बीच राज्य परिवहन की बस चलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1459. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट विधान सभा से संझौली प्रखंड में एकमात्र खेल का मैदान है जिसकी चहारदीवारी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार की नीतिगत फैसला है कि प्रत्येक प्रखंड में एक स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा ;

(3) क्या यह बात सही है कि जीर्ण-शीर्ण चहारदीवारी के कारण उक्त मैदान में अतिक्रमण होने का खतरा बना रहता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस खेल मैदान को स्टेडियम में तब्दील करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पद सृजित करना

*1460. श्री प्रहलाद यादव (क्षेत्र संख्या-167 सूर्यगढ़ा)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला के चानन एवं पिपरिया प्रखंड में महिला एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पद सृजित नहीं है, जिसके कारण दोनों प्रखंडों में आंगनबाड़ी का कार्य सही ढंग से नहीं चल रहा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त दोनों प्रखंडों में महिला एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पद सृजित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक है । राज्य में कुल 544 बाल विकास परियोजना कार्यालय स्वीकृत एवं संचालित है । उक्त के तहत लखीसराय जिलान्तर्गत लखीसराय, पिपरिया, बड़हिया, सूर्यगढ़ा, रामगढ़ चैक एवं हलसी में बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पद स्वीकृत है ।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लखीसराय जिले के पिपरिया प्रखंड में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पद सृजित है परंतु वर्तमान किसी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की पदस्थापना नहीं है । यह अतिरिक्त प्रभार में चल रहा है । चानन प्रखंड में अलग से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पद सृजित नहीं है, यहां के आँगनबाड़ी केन्द्र को लखीसराय परियोजना के साथ संबद्ध कर संचालित किया जा रहा है ।

(2) उपर्युक्त खंडों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है । वर्तमान में भारत सरकार से 544 परियोजना अतिरिक्त नये बाल विकास परियोजना कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्राप्त नहीं है ।

संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण

*1461. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर में स्थित दाउद खां की किला का संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य लंबित है, यदि हाँ, तो सरकार दाउद खाँ के किले का संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि दाउद खाँ के किले का सौंदर्यीकरण का कार्य 13वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि से बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के माध्यम से कराया गया है । इसके अन्तर्गत चहारदीवारी, पाथवे, शौचालय, छायादार बैठका एवं सुरक्षा प्रहरी कक्ष आदि का निर्माण कराया गया है । चहारदीवारी का आंशिक कार्य स्थानीय स्तर पर अतिक्रमण होने के कारण लंबित है । इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से विभागीय पत्रांक 57, दिनांक 28 फरवरी, 2023 द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अनुरोध किया गया है । दाउद खाँ के किले का संरक्षण कार्य 15वें वित्त आयोग की अनुशंसित राशि से कराये जाने की योजना प्रक्रियाधीन है ।

पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये छात्रावास बनाना

*1462. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के प्रखंड किशनपुर में पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा छात्र/छात्राओं के लिये एक भी छात्रावास संचालित नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त छात्रावास के अभाव में छात्रों का पठन-पाठन प्रभावित होता है, जिससे वे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में भूमि अधिग्रहण कर पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये छात्रावास बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास निर्माण योजना के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा को ज़ारी रखने एवं सुलभ बनाने की दृष्टि से बी०एस०एस० कॉलेज परिसर, सुपौल में 100 आसनवाले अन्य पिछड़ा वर्ग (बालक) छात्रावास एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिये 100 आसनवाले जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास संचालित है ।

(2) अस्वीकारात्मक ।

(3) वर्तमान में प्रखंड स्तर पर छात्रावास निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

निबंधन कार्यालय का निर्माण

*1463. श्रीमती रश्मि वर्मा (क्षेत्र संख्या-3 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चंपारण जिलान्तर्गत नरकटियागंज विधान सभा में अवस्थित निबंधन कार्यालय का भवन काफी पुराना एवं जर्जर हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त निबंधन कार्यालय में रिकॉर्ड रूम नहीं होने से वहां के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को काफी परेशानी होती है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भवन की मरम्मती एवं मॉडल निबंधन कार्यालय का निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1464. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लखनौर प्रखंड में 'मुख्यमंत्री खेल विकास योजना' के अन्तर्गत ग्राम-कछूवी में प्रखंड मानक आउटडोर स्टेडियम निर्माण हेतु अंचलाधिकारी, लखनौर के प्रतिवेदन प्रस्ताव को जिलाधिकारी, मधुबनी द्वारा ज्ञापांक 292 उपा०शा०शि०, मधुबनी, दिनांक 14 जुलाई, 2022 के माध्यम से सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आउटडोर स्टेडियम निर्माण हेतु अंचलाधिकारी, लखनौर के द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरांत स्टेडियम निर्माण से संबंधित बाधा दूर हो गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्राम-कछूवी में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1465. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के प्रखंड ईटाढ़ी में प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, ईटाढ़ी का भवन जर्जर स्थिति में है, जिसके कारण कभी भी दुर्घटना हो सकती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का भवन निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1466. श्री बच्चा पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-110 बड़हरिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के बड़हरिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बड़का गाँव में अयोध्या अग्रवाल सनातन धर्म +2 उच्च विद्यालय में महज तीन कमरों में पाँच शिक्षकों के सहारे 1,400 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, में चहारदीवारी नहीं रहने से आसामाजिक तत्वों के जमावड़ा लगे रहने से छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में असुविधा होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में शिक्षकों का पदस्थापन एवं चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1467. श्री जितेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के सरमेरा प्रखंड मुख्यालय में बी०आर०सी० भवन नहीं होने के कारण प्रशिक्षण आदि कार्यों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार नालन्दा जिला के सरमेरा प्रखंड मुख्यालय में बी०आर०सी० भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पठन-पाठन का कार्य कराना

*1468. श्री राजीव कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-164 तारापुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि तारापुर विधान सभा के असरगंज प्रखंड अन्तर्गत रहमतपुर पंचायत स्थित बालिका उच्च विद्यालय, माधोपुर के भवन का निर्माण 10 वर्ष पूर्व हुआ था परंतु आजतक इस विद्यालय में पठन-पाठन का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, जिसके कारण इस पंचायत के छात्र-छात्राओं को 6 से 8 किलो मीटर की दूरी तयकर दूसरे उच्च विद्यालय में शिक्षा ग्रहण हेतु जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में पठन-पाठन का कार्य कबतक शुरू करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना:
दिनांक 14 मार्च, 2023 (ई०) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु०-82 (एल०ए०), 2022-23 डी०टी०पी०-550